

अंक 33 | संख्या 6 | जून 2026



मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन



विचार-विमर्श

प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा पर कोर ग्रुप की बैठक

राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर का सम्मेलन

परामर्शी 2.0

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एनएचआरसी परामर्शी 2.0

लेख

डॉ. बी.आर. अंबेडकर और भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 | संख्या 6 | जून 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम

सदस्य

न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव

श्री भरत लाल

संपादक

जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है।
गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूजलेटर में
प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः
प्रकाशित कर सकते हैं।



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम, नई दिल्ली स्थित आईआईपीए में 18वें डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन देते हुए



▶ एनएचआरसी, भारत का 'प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा: साझा जिम्मेदारी' विषय पर केंद्रित व्यवसाय और मानव अधिकारों पर कोर ग्रुप

विषय-वस्तु

मासिक विवरण:

03 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी की कलम से

विचार- विमर्श

05 प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा
पर कोर ग्रुप की बैठक,
10 राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष
प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों का
सम्मेलन

परामर्श:

12 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को
सुनिश्चित करने के लिए एनएचआरसी
परामर्श 2.0

लेख:

14 डॉ. बी.आर. अंबेडकर और भारतीय
संविधान में न्याय का विचार (एचसीपी
द्वारा)

सुर्खियां

16 डिजिटल अरेस्ट घोटालों के खिलाफ
मानव अधिकारों की सुरक्षा

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप:

17 स्वतः संज्ञान, राहत के लिए सिफारिशें,
पीड़ितों को राहत का भुगतान, केस
स्टडीज, मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

22 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

23 ऑनलाइन लघु अवधि इंटरैक्टिव,
प्रशिक्षण कार्यक्रम, ज्ञानार्जन दौरे

27 अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

27 राज्य मानव अधिकार आयोगों से
समाचार

28 संक्षेप में समाचार

31 आगामी कार्यक्रम

31 मई 2026 में शिकायतें

मासिक विवरण

महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

भारत के पास प्रगतिशील कानूनों, कल्याणकारी योजनाओं और न्यायिक सुरक्षा का एक परिष्कृत ढांचा है। विफलता इसके कार्यान्वयन और जवाबदेही में होती है।

जै जैसे-जैसे भारत तीव्र तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विकास और जलवायु जटिलता के युग में आगे बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र बनने की हमारी सामूहिक यात्रा को एक एकल, गैर-परक्राम्य मानदंड से मापा जाना चाहिए: हम अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सच्ची सामाजिक प्रगति केवल आर्थिक विकास के मापदंडों या बुनियादी ढांचे के मील के पत्थर में नहीं है। बल्कि, यह समाज की सामूहिक रूप से मानवीय, समावेशी और मौलिक रूप से न्यायपूर्ण बने रहने की क्षमता से परिभाषित होती है। मई 2026 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने इन मूलभूत आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए कई हस्तक्षेपों, प्रशिक्षण पहलों और उच्च-स्तरीय परामर्शों में भाग लिया।

प्रत्येक मंच पर हमारे ऑनलाइन लघु अवधि इंटरैक्टिव कार्यक्रम के लिए 100 मेधावी युवाओं के चयन से लेकर राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के सम्मेलन के आयोजन तक एक ही, गूंजती हुई सच्चाई सामने आई। यदि समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के हमारे संवैधानिक आदर्शों को वास्तव में साकार करना है, तो भारत के मानव अधिकार पारिस्थितिकी तंत्र को एक आदर्श बदलाव से गुजरना होगा। हमें खंडित, प्रतिक्रियाशील हस्तक्षेपों के युग से आगे बढ़कर सक्रिय रोकथाम, निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय और अंतिम छोर तक वितरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता वाले युग की ओर बढ़ना होगा।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित संस्थागत ढांचे ने भारत को एक मजबूत अधिकार संरक्षण नेटवर्क प्रदान किया है। आज, एनएचआरसी और उसके 15 विशेष प्रतिवेदकों और 18 विशेष मॉनिटरों के समर्पित नेटवर्क के साथ-साथ 27 कार्यरत राज्य मानव अधिकार आयोगों के बीच सहकारी ढांचा मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक सुरक्षा कवच का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले पांच वर्षों में, एनएचआरसी को 4.28 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह चौंकाने वाली संख्या एक जटिल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। एक ओर, यह शिकायत निवारण के लिए एक सुलभ मंच के रूप में आयोग में जनता के स्थायी विश्वास को दर्शाता है। दूसरी ओर, यह प्रशासन और न्याय वितरण में गहरी प्रणालीगत कमियों पर एक निर्विवाद प्रकाश डालता है।

हिरासत में हिंसा, संस्थागत दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को बुनियादी गरिमा से वंचित करने जैसे प्रणालीगत मुद्दों को केवल घटना के बाद के सुधारों से हल नहीं किया जा सकता है। एक मानवीय समाज को उल्लंघन से आगे निकलना चाहिए और संकट के रूप में प्रकट होने से पहले उभरते जोखिमों की पहचान करनी चाहिए। भारत के पास प्रगतिशील कानूनों, कल्याणकारी योजनाओं और न्यायिक सुरक्षा का एक परिष्कृत ढांचा है। विफलता कार्यान्वयन और जवाबदेही में होती है। इस अंतर को पाटने के लिए, एनएचआरसी अपेक्षा

करता है कि एसएचआरसी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एचआरसीनेट पोर्टल को अपनाकर सख्त और परिणाम-उन्मुख समन्वय लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का दोहराव और नौकरशाही में देरी मानव अधिकारों के उल्लंघन में न बदल जाए।

पर्यावरणीय वास्तविकताओं और कॉर्पोरेट जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में सक्रिय मानव अधिकार दृष्टिकोण की आवश्यकता शायद अधिक जरूरी है। नई दिल्ली में 'क्लाइमेट ट्रेड्स' द्वारा आयोजित और एनएचआरसी द्वारा समर्थित 'बढ़ता तापमान, साझा समाधान' विषय पर इंडिया हीट समिट 2026 में बोलते हुए, मैंने जोर दिया कि अत्यधिक गर्मी अब केवल एक पर्यावरणीय या मौसमी असुविधा नहीं है; यह मौलिक रूप से एक मानव अधिकार संकट है। भारत में निम्न और मध्यम आय वाले आवासों में रात्रिकालीन थर्मल स्ट्रेस पर ऐतिहासिक रिपोर्ट का विमोचन यह उजागर करता है कि बढ़ता तापमान सीधे तौर पर जीवन, स्वास्थ्य, आवास, पानी और सुरक्षित कार्य स्थितियों के मौलिक अधिकारों को कैसे खतरे में डालता है।

जबकि जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है, बाहरी मजदूर, अनौपचारिक श्रमिक, कम आय वाले शहरी परिवार, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थर्मल स्ट्रेस को झेलते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, जलवायु लचीलापन को सामाजिक न्याय में मजबूती से निहित होना चाहिए, और स्थानीयकृत 'हीट एक्शन प्लान' को जमीनी स्तर की सुरक्षा में बदलना चाहिए। लू के प्रभाव को कम करने और मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को दोहराते हुए, आयोग ने पिछले महीने 21 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भेजे गए अपने पत्र में अधिकारियों से अग्रिम कार्रवाई करने और देश भर में लू के दौरान कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए राहत उपाय लागू करने के लिए कहा है। इसने कार्रवाई रिपोर्ट की भी मांग की है।

संरचनात्मक समानता के प्रति ऐसी ही प्रतिबद्धता ने 'व्यवसाय और मानव अधिकार' पर एनएचआरसी की कोर ग्रुप बैठक का मार्गदर्शन किया, जिसने 'प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा: सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी' पर एक महत्वपूर्ण परामर्श आयोजित किया। आंतरिक प्रवासी भारत की जनसंख्या का लगभग 28.9% हिस्सा हैं और

निर्माण, विनिर्माण, रसद और गिग अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संचालित करते हैं। इस विशाल योगदान के बावजूद, भाषा की बाधाएं, उच्च शारीरिक गतिशीलता, अनौपचारिक रोजगार व्यवस्था और घटिया आवास उन्हें अनियमित मजदूरी और सामाजिक बहिष्कार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। कॉर्पोरेट और प्रशासनिक क्षेत्रों को पूरी तरह से व्यावसायिक-उन्मुख दृष्टिकोण से दूर होना चाहिए। उचित मजदूरी, सुरक्षित आवास और राज्य की सीमाओं के पार सामाजिक सुरक्षा लाभों की पूर्ण सुवाह्यता और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना एक पूर्ण दायित्व है। श्रमिकों के साथ गरिमा का व्यवहार करना एक ठोस आर्थिक नीति है, क्योंकि श्रमिक कल्याण में निवेश सीधे उत्पादकता और पारिवारिक स्थिरता को बढ़ाता है।

संस्थागत समानता और प्रगतिशील नीतिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के अनुरूप, आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपना परामर्श 2.0 जारी की, जो सामाजिक-आर्थिक समावेशन और कार्यस्थल गरिमा में कमियों को लक्षित करती है। मौलिक समानता पर यह ध्यान एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन द्वारा लिखे गए एक व्यावहारिक लेख में रेखांकित किया गया है। लेख डॉ. बी.आर. अंबेडकर और भारतीय संविधान में न्याय के विचार की जांच करता है। साथ ही, न्यूजलेटर का स्पॉटलाइट खंड डिजिटल अरेस्ट घोटालों के खिलाफ मानव अधिकारों की सुरक्षा पर है। चूंकि साइबर अपराधी तेजी से मनोवैज्ञानिक दबाव और अवैध डिजिटल कारावास का उपयोग कर रहे हैं, एनएचआरसी इन कृत्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के रूप में मानने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

जमीनी स्तर पर उपचारात्मक कार्रवाई आयोग का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है, जो महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों और प्रणालीगत लापरवाही के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की त्वरित शक्ति द्वारा संचालित है। आयोग के कानून और जांच विंग कठोर मौके पर पूछताछ और विस्तृत केस स्टडीज का संचालन जारी रखते हैं, जो राहत के लिए ठोस सिफारिशें तैयार करते हैं और पीड़ितों को राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करते हैं। वास्तव में, मानव अधिकारों की सुरक्षा केवल एक संस्थान द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, इसके लिए समाज के सभी हितधारकों से दैनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।



[भरत लाल]

विचार- विमर्श

प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर कोर ग्रुप की बैठक

मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने चल रहे जनादेश के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत नियमित रूप से कोर समूहों, ओपन हाउस चर्चाओं और राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है ताकि प्रणालीगत कमियों को दूर करने और व्यावहारिक नीतिगत सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए डोमेन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों को शामिल किया जा सके। इस सक्रिय दृष्टिकोण के अनुरूप, आयोग ने 12 मई 2026 को नई दिल्ली में 'प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा: सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी' पर एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप बैठक का आयोजन किया।

यह महत्वपूर्ण संवाद एक ऐसे समय में हुआ है जब प्रवासी श्रमिक निर्माण, रसद, आतिथ्य और घरेलू कार्यों जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में एक अनिवार्य स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं। वैधानिक सुरक्षा उपायों की मजबूत नींव के बावजूद, ये श्रमिक भाषा

की बाधाओं और अस्थिर आश्रय से लेकर गंभीर मजदूरी शोषण और नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली संरचनात्मक खामियों जैसी असमान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एनएचआरसी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने वाला यह परामर्श, कानूनी ढांचे और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के बीच बने निरंतर अंतर को पाटने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस पहल का लक्ष्य केवल नियामक अनुपालन तक सीमित न रहकर, एक ऐसी अधिकार-आधारित संस्कृति की ओर बढ़ना है, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए वास्तविक गरिमा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम ने कहा कि प्रवासी श्रमिक दूसरों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं। भाषा की बाधाएं, गतिशीलता

और स्थिर आवास की कमी उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने से रोकती है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए ट्रेड यूनियनों की मजबूत परंपरा को भी याद किया। एनएचआरसी सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, महासचिव श्री भरत लाल, डीजी (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्रा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक, भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रख्यात डोमेन विशेषज्ञ और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम ने 1979 के कानून जैसे कानूनों का उल्लेख किया जो प्रवासी श्रमिकों को मान्यता देते हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान जो 240 दिनों के निरंतर काम के बाद सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही नियोक्ताओं द्वारा पात्रता अवधि से पहले ब्रेक देने जैसी खामियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सरकारों को सलाह देने में एनएचआरसी, भारत और उसके कोर ग्रुप की भूमिका



► एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, महासचिव, श्री भरत लाल और वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की उपस्थिति में कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए



► उपस्थित लोगों का एक वर्ग

पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत में 1979 से प्रवासी श्रमिक सुरक्षा सहित मजबूत श्रम कानून हैं, लेकिन कार्यान्वयन एक चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं व्यापक रूप से ज्ञात हैं और आयोग अपेक्षा करता है कि बहु-हितधारक चर्चाओं के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशों के रूप में व्यावहारिक समाधान सुझाए जाएं।

एनएचआरसी अध्यक्ष ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिकार-आधारित संस्कृति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अंतर-राज्यीय समन्वय, पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के मजबूत कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल ध्यान निर्माण, होटल, व्यवसाय और घरेलू कार्यों में लगे प्रवासी श्रमिकों पर होना चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भाषाई पहचान-आधारित संघ के सदस्यों को समन्वय परिषदों में शामिल किया जाना चाहिए।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को न तो उचित सम्मान दिया जाता है और न ही मजदूरी।

उन्होंने कहा कि समय पर पारिश्रमिक का भुगतान न करना उनके घर छोड़ने के उद्देश्य को विफल कर देता है। उन्हें गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजदूरी, आवास, स्वास्थ्य और उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्यों का डेटाबेस भी बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें भी सभी देय लाभ मिलें।

इससे पहले, प्रवासन पर एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि दुनिया भर में प्रवासी सभी स्तरों पर अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की लगभग 28.9% जनसंख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवाजाही करने वाले प्रवासी श्रमिकों से बनी है, जो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोविड-19 संकट के दौरान सामना की गई गंभीर कठिनाइयों को याद करते हुए, उन्होंने आउटसोर्स किए गए श्रमिकों के शोषण पर चिंता व्यक्त की, जिनमें से कई कथित तौर पर न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं करते हैं, और ठेकेदार कथित तौर पर भुगतान ऐप के माध्यम से बड़ी रकम काट लेते हैं। उन्होंने प्रवासियों के प्रति अधिक सामाजिक संवेदनशीलता की आवश्यकता

पर जोर दिया।

श्रमिकों के लिए लक्षित निवेश और कल्याणकारी उपायों के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप उनकी दक्षता में वृद्धि होती है। इस संदर्भ में, उन्होंने प्रवासियों पर भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के एक अध्ययन का हवाला दिया। कल्याणकारी उपायों से कारखाने के श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि हुई, जो 1.38 गुना बढ़ गई और परिवार कल्याण, शिक्षा और उनके बच्चों के लिए संभावनाओं में सुधार हुआ। उन्होंने देखा कि स्पष्ट भेदभाव और अन्याय कभी-कभी हिंसा का कारण बन सकते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे नए श्रम कोड और डिजिटल शासन प्रणालियों का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने कोविड-19 के दौरान एनएचआरसी, भारत की पहलों को उजागर किया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी पहलों की सराहना करते हुए, उन्होंने कानूनों और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बेहतर अंतर-राज्यीय समन्वय, पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कौशल उन्नयन का भी आह्वान किया।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने सम्मेलन के तीन तकनीकी सत्रों का अवलोकन दिया, जिसमें 'कानूनी और संस्थागत ढांचा: संरक्षण और कार्यान्वयन में अंतराल', 'भारत में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में व्यवसायों की भूमिका' और 'भारत में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की पहचान: बहु-हितधारक दृष्टिकोण' शामिल थे। उन्होंने जोर दिया कि प्रवासी श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और याद किया कि कैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रम विरोधों ने दैनिक जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने हाल के राज्य चुनावों के दौरान घर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों का भी उल्लेख किया, जिससे श्रम की कमी पैदा हुई जिसने शहरों और सार्वजनिक प्रणालियों को प्रभावित किया।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के उप महाप्रबंधक श्री विमल भट्टार ने बताया कि कैसे ईएसजी (E S G) रिपोर्टिंग के तहत बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR), एक सूचीबद्ध कंपनी के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) प्रदर्शन का खुलासा करती है, जिसमें प्रवासी और अनुबंध श्रमिकों सहित श्रमिक कल्याण डेटा शामिल है। हालांकि, उन्होंने

उल्लेख किया कि अधिकांश प्रवासी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और असंगठित क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के कारण विनियमन के दायरे से बाहर हो जाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय की नीति प्रभाग की उप महानिदेशक श्रीमती अनुजा बापट ने जोर दिया कि प्रवासी श्रमिकों को व्यापक परिवार और पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और कहा कि पीएम विश्वकर्मा, पीएमईजीपी और उद्यम पंजीकरण जैसी योजनाएं स्थानीय आजीविका पैदा करके संकटपूर्ण प्रवासन को कम कर सकती हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के निदेशक श्री दीपांकर गुहा ने कहा कि ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल एक मजबूत नींव है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं में इसके डेटा के बेहतर एकीकरण और उपयोग पर निर्भर करता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (CSR) श्री के.सी. मीणा ने अनुपालन ढांचे और रिपोर्टिंग संरचनाओं का उल्लेख किया, इस बात पर प्रकाश डाला कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कुछ रिपोर्टिंग दायित्व स्वैच्छिक या विकसित हो रहे हैं और वैधानिक आवश्यकताएं भिन्न हैं।

प्रेक्सिस इंस्टीट्यूट फॉर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेज के

सीईओ श्री टॉम थॉमस ने बेहतर डेटा सिस्टम की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए प्रवासी श्रमिकों को ट्रेक करने के लिए ई-श्रम पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों को जोड़ने और मजबूत करने पर। उन्होंने डेटाबेस के बीच डेटा प्रवाह को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया ताकि आंशिक कवरेज भी नीति लक्ष्यीकरण और कल्याण वितरण में काफी सुधार कर सके।

भारतीय विश्व मामलों की परिषद के प्रवासन, गतिशीलता और डायस्पोरा अध्ययन केंद्र के अनुसंधान सहयोगी डॉ. किशुभ ने निर्माण श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया और उप-अनुबंध के मुद्दों, प्रलेखन की कमी, कल्याणकारी योजनाओं से बहिष्करण और किफायती आवास तथा उचित आधार मजदूरी की आवश्यकता को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के कार्यालय प्रमुख श्री संजय अवस्थी ने व्यवसाय और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों, नैतिक भर्ती, शून्य भर्ती शुल्क, उप-अनुबंध श्रृंखलाओं में जवाबदेही और मजबूत शिकायत निवारण प्रणालियों तथा डेटा प्रणालियों के अनुपालन का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), भारत की व्यवसाय और मानव अधिकार विशेषज्ञ सुश्री नुसरत





► प्रतिभागियों का एक वर्ग

ने प्रवासी श्रमिकों के प्रति कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की स्पष्ट और अधिक क्षेत्र-विशिष्ट अभिव्यक्ति का आह्वान किया, और व्यवसाय और मानव अधिकारों पर एक अद्यतन राष्ट्रीय दिशानिर्देशों तथा नीतिगत सुसंगतता का सुझाव दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रवासियों के मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के विशेषज्ञ श्री इंसाफ निजाम ने सभी श्रमिकों के लिए एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का आह्वान किया, न कि केवल प्रवासियों के लिए, और संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं को दूर करने तथा शासन और प्रवर्तन प्रणालियों में सुधार करते हुए श्रम कानूनों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्ल्ड बैंकमार्क एलायंस की एशिया नीति प्रमुख श्री नमित अग्रवाल ने प्रवासी श्रमिकों के लिए वेतन ढांचे को संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

पार्टनर्स इन चेंज के निदेशक श्री प्रदीप नारायणन ने ईएसजी (ESG) प्रकटीकरण में भारत के नेतृत्व को नोट किया और ईएसजी रेटिंग को प्रवासी श्रमिक कल्याण से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उप महासचिव डॉ. जतिंदर सिंह ने ई-श्रम को आधार, ईपीएफ, ईएसआईसी और राज्य योजनाओं, क्यूआर-आधारित प्रवासी आईडी और एक राष्ट्रीय प्रवासी

श्रम डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बहुभाषी शिकायत प्रणालियों, ठेकेदार अनुपालन घोषणाओं, प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण और बीआरएसआर (BRSR) रिपोर्टिंग में प्रवासी-विशिष्ट प्रकटीकरण का भी सुझाव दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के संस्थापक अध्यक्ष श्री एस. गिरिधरा राजन ने वास्तविक समय के प्रवासन डेटा, क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों और प्रवासियों को अतिथि के रूप में नहीं बल्कि स्थायी योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया। उन्होंने खराब रहने की स्थिति, मजदूरी की चोरी, ओवरटाइम की कमी, सेवाओं में भाषा की बाधाएं, डिजिटल भुगतान, अंतर-राज्यीय समन्वय और जलवायु भेद्यता को उजागर किया। आजीविका ब्यूरो के निदेशक (ज्ञान और शिक्षण) श्री संतोष पूनिया ने स्वास्थ्य सेवा तक प्रवासी श्रमिकों की पहुंच और 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' (सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण) से दूर जाने की आवश्यकता का मुद्दा उठाया।

अन्य वक्ताओं में फिक्की (FICCI) के महासचिव श्री अनंत स्वरूप; भारतीय उद्योग परिषद (CII) के प्रधान सलाहकार श्री सुनील मिश्रा; सेबी (SEBI) के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजेश कुमार दंगेती; आईआईएमबी (IIMB) की प्रो. वसंती श्रीनिवास;

आदित्य बिड़ला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन प्रा. लि. की वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. विद्या टिक्कू; श्रम प्रवासन विशेषज्ञ सुश्री कैथरीन लॉज़; यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की एशिया-प्रशांत सदस्य सुश्री पिचा मोन येओफंतोंग; सार्वजनिक उद्यम विभाग के संयुक्त निदेशक श्री कैलाश भंडारी; आईआईएमएडी (IIMAD) के संस्थापक अध्यक्ष श्री एस. इरुदया राजन; एनएचआरसी विशेष मॉनिटर श्री डी.एस. धपोला; विशेष प्रतिवेदक श्रीमती शोमिता बिस्वास शामिल थे।

चर्चा से उभरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

- प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को हल करने के लिए एक समन्वय परिषद की आवश्यकता;
- साझा भाषाई पहचान के आधार पर संगठित क्षेत्र-वार संघों और सदस्य नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि प्रवासी श्रमिक सहायता और संचार के लिए उनसे अधिक आसानी से संपर्क कर सकें;
- प्रवासी श्रमिकों की जिला-वार गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक डैशबोर्ड की आवश्यकता;

- वास्तविक समय के शासन के लिए एक एकीकृत प्रवासी श्रमिक सूचना पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केवल ई-श्रम ही नहीं, बल्कि सरकारी प्रणालियों के डेटाबेस को जोड़ना और सामंजस्य स्थापित करना;
 - वैल्यू-चेन/सप्लाई-चेन प्रकटीकरण मानकों को व्यापक और अधिक समान बनाना ताकि प्रवासी श्रम डेटा शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों से परे ईएसजी/बीआरएसआर-शैली की रिपोर्टिंग का हिस्सा बन जाए;
 - सामान्य व्यावसायिक जिम्मेदारी ढांचे पर भरोसा करने के बजाय, कपड़ा, गिग वर्क और निर्माण जैसे उच्च-प्रवासी-तीव्रता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कॉर्पोरेट जिम्मेदारी दिशानिर्देश पेश करना;
 - प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वयं एक औपचारिक राष्ट्रीय-स्तरीय सलाहकार या परामर्श तंत्र बनाना, यह सुनिश्चित करना कि वे नीति निर्माण में सीधे प्रतिनिधित्व करें;
 - संचालन स्तर पर विभागों के बीच संस्थागत समन्वय में सुधार करना, श्रमिक शिकायतों के समाधान में बहु-स्तरीय नौकरशाही अनुमोदन के कारण होने वाली देरी को कम करना;
 - जिला और वास्तविक समय के स्तर पर प्रवासन डेटा प्रणालियों को अपडेट करना, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रीय डेटा को पुराना और संकट प्रतिक्रिया के लिए अपर्याप्त बताया गया था;
 - कल्याणकारी योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रमाणन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, विशेष रूप से निर्माण, आतिथ्य और घरेलू कार्यों में, ताकि वे शिक्षा सहायता और बीमा जैसे लाभों तक पहुंच सकें;
 - प्रवासी श्रमिक विचारों को शहरी नियोजन ढांचे में शामिल करना, इसे बाद के विचार के रूप में नहीं बल्कि आवास और बुनियादी ढांचे की योजना के एक मुख्य घटक के रूप में;
 - मौजूदा योजनाओं से परे पोर्टाबिलिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करना, यह सुनिश्चित करना कि न केवल राशन बल्कि स्वास्थ्य, बीमा और कल्याणकारी पात्रता तक अंतर-राज्यीय पहुंच सुगम हो;
 - व्यवसाय और मानव अधिकार ढांचे के तहत 'कॉर्पोरेट जिम्मेदारी' की स्पष्ट अभिव्यक्ति विकसित करना, विशेष रूप से अनौपचारिकता और उप-अनुबंध अस्पष्टता को दूर करने के लिए;
 - रेटिंग सिस्टम के माध्यम से ईएसजी-लिंकड प्रोत्साहन बनाना ताकि जो कंपनियां प्रवासी श्रमिक कल्याण में सुधार करती हैं, उन्हें बेहतर ईएसजी रेटिंग मिले, जिससे बाजार तंत्र के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा मिले;
 - 'अदृश्य मूल्य श्रृंखलाओं' की पहचान और विनियमन करना, जहां कोई भी कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्षेत्रीय 'शीर्ष कंपनियों' को प्रवासी श्रमिक स्थितियों के लिए संयुक्त रूप से जवाबदेह बनाकर;
 - क्षेत्रीय उद्योग जगत के नेताओं को एनएचआरसी/कोर ग्रुप के प्लेटफॉर्मों में लाना ताकि वे केवल नीतिगत चर्चाएं ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक, क्षेत्र-विशिष्ट प्रवासी कल्याण समाधानों को सह-डिजाइन कर सकें;
 - सामूहिक सौदेबाजी नवाचारों पर शिक्षा को मजबूत करना, विशेष रूप से पारंपरिक ट्रेड यूनियन संरचनाओं के बाहर के श्रमिकों के लिए;
 - श्रम नीति में जाति-विशिष्ट भेद्यता विश्लेषण को एकीकृत करना, जिसमें एससी/एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोगों और ऐतिहासिक रूप से प्रवासी समुदायों के साथ समन्वय शामिल है;
 - ऐतिहासिक रूप से मोबाइल आबादी के लिए मानव अधिकार, जाति और जनजातीय आयोगों को शामिल करते हुए समन्वित बहु-आयोग नीति प्रतिक्रियाएं विकसित करना;
 - वितरण-केंद्रित नीति वास्तुकला स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि चर्चाएं अकादमिक विचार-विमर्श बने रहने के बजाय कार्रवाई योग्य तंत्र में बदल जाएं;
 - ठेकेदार-स्तर पर प्रवासी कल्याण घोषणाओं को अनिवार्य बनाना, आपूर्तिकर्ताओं से मजदूरी, सुरक्षा, आवास और भर्ती स्थितियों पर अनुपालन प्रमाणित करने की आवश्यकता;
 - सख्त समयसीमा के साथ कार्रवाई योग्य शिकायत प्रणालियां बनाना, यह सुनिश्चित करना कि शिकायतें न केवल दर्ज की जाएं बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर हल की जाएं;
 - उच्च-प्रवासन वाले जिलों में संरचित प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू करना, जिसमें अधिकार जागरूकता, अनुबंध, मजदूरी और कानूनी सुरक्षा शामिल हो;
 - ईएसजी/बीआरएसआर ढांचे में प्रवासी-विशिष्ट प्रकटीकरण अनुभागों को शामिल करना, जिसमें पंजीकरण स्थिति, मजदूरी ऑडिट, शिकायत समाधान दर और आवास/सुरक्षा अनुपालन शामिल हो;
 - सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के बजाय वास्तविक शहरी जीवन यापन की लागत के आधार पर "लिविंग वेज" (जीवन निर्वाह मजदूरी) बेंचमार्क की ओर बढ़ना;
 - प्रवासी-संवेदनशील शहरी नियोजन ढांचे विकसित करना, प्रवासी आबादी के लिए दीर्घकालिक आवास और सेवा पहुंच को एकीकृत करना;
 - मजदूरी न देने को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए पेरोल रिकॉर्ड से जुड़े डिजिटल मजदूरी भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देना; और
 - अंतर-राज्यीय प्रवासन गलियारे समन्वय तंत्र को मजबूत करना, विशेष रूप से उच्च-बहिर्वाह और उच्च-प्रवाह वाले राज्यों के बीच।
- आयोग सरकार के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न सुझावों पर और विचार करेगा।

राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों का सम्मेलन

भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक अद्वितीय मानव अधिकार संरक्षण तंत्र है। यह अधिनियम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) का प्रावधान करता है। दोनों अपनी शक्तियाँ एक ही अधिनियम से प्राप्त करते हैं लेकिन अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

एनएचआरसी पूरे देश में काम करता है और समवर्ती सूची के विषयों सहित सभी विधायी विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों से मानव अधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट या जानकारी मांग सकता है। एसएचआरसी राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और आम तौर पर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित मामलों तक सीमित हैं और राज्य सरकारों तथा अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट या जानकारी मांग सकते हैं। एनएचआरसी एसएचआरसी पर एक अपीलीय प्राधिकारी भी नहीं है। अधिकार क्षेत्रों में अंतर के बावजूद, दोनों संस्थान देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए समन्वय में काम करते हैं।

आपसी सहयोग और समन्वय को और मजबूत करने के लिए, एनएचआरसी ने 18 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में एसएचआरसी का दिन भर का वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया। चर्चाओं, सहयोग



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव, श्री भरत लाल और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए

और जमीनी स्तर पर मानव अधिकार स्थिति और संबंधित मुद्दों की समझ का दायरा बढ़ाने के लिए, आयोग ने इस सम्मेलन में अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों को भी आमंत्रित किया। ये पदाधिकारी अपने आवंटित विषयगत और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रीय दौरे करते हैं और संबंधित सरकारों को उचित सिफारिशें करने के लिए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम ने दोहराया कि भारत का मानव अधिकार ढांचा अद्वितीय है, क्योंकि एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों अपने विषय-विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अलावा कुछ मामलों पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि देश के मानव अधिकार प्रदर्शन का आकलन सभी आयोगों के कामकाज के माध्यम से सामूहिक रूप से किया जाता है। इसलिए, मामलों के दोहराव से बचने, सूचना साझा करने में सुधार करने और सर्वोत्तम

प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एनएचआरसी सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षडंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; डीजी (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्रा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम ने एसएचआरसी से अपने कामकाज को डिजिटल बनाने और एनएचआरसी के साथ एक सामान्य एकीकृत एचआरसीनेट (HRCNet) पोर्टल से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने आयोगों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के प्रति आगाह भी किया, यह देखते हुए कि हालांकि अदालतों ने मौलिक और मानव अधिकारों का दायरा बढ़ाया है, मानव अधिकार संस्थानों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषा द्वारा निर्देशित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता बनाए रखने से अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और आयोगों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षडंगि ने एनएचआरसी और एसएचआरसी के बीच बातचीत को समन्वय को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन और संकटग्रस्त व्यक्तियों तक लाभों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से हिरासत में मौतों जैसे संवेदनशील मामलों में, उनके बीच बेहतर संचार की आवश्यकता पर रेखांकित किया।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने एसएचआरसी से क्षेत्रीय दौरे बढ़ाने और प्रभावित समुदायों के साथ अधिक जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एसएचआरसी और एनएचआरसी विशेष मॉनिटरों और विशेष प्रतिवेदकों के बीच समन्वय संस्थागत प्रभावशीलता को मजबूत कर सकता है। उन्होंने सार्वजनिक सहायता के लिए अपने विभागों में एसएचआरसी का संपर्क विवरण प्रदर्शित करने की कर्नाटक सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला।

इससे पहले, सम्मेलन का अवलोकन देते हुए, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मानव अधिकार एक जटिल विषय है जिसके लिए एनएचआरसी और उसके विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के साथ एनएचआरसी के बीच सामूहिक कार्रवाई, करीबी समन्वय और एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण आवश्यक है। एनएचआरसी की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रकाश डाला कि पिछले 5 वर्षों में, 4.28 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से प्रमुख शिकायतें विभिन्न श्रेणियों में आती हैं, जैसे पुलिस संबंधित उल्लंघन (18%), माफियाओं द्वारा संगठित शोषण (17.4%), सेवा मामले - पेंशन/वेतन का भुगतान न करना (6%), महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन (5.8%), जेलों और कारावासों में स्थितियां (3.5%), श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन (2.2%), स्वास्थ्य संबंधित उल्लंघन (2%), शैक्षणिक संस्थानों में मानव अधिकार उल्लंघन (2%), बाल अधिकारों का उल्लंघन (1.7%) आदि।

श्री लाल ने हिरासत में मौतों, आश्रय गृहों में दुर्व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रहने की खराब स्थिति, मैला ढोने से होने वाली मौतों के मामलों पर प्रकाश डाला और सक्रिय निगरानी तथा क्षेत्रीय-आधारित हस्तक्षेपों का आह्वान किया। इस संदर्भ में, उन्होंने भिखारियों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और प्रमाणन तंत्र में कमियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की व्यस्तताएं और संवाद नीति के इरादे और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए मजबूत संस्थागत समन्वय बनाने में मदद कर सकते हैं, साथ ही मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अधिक प्रभावी निवारक बना सकते हैं।



► सम्मेलन में भाग लेते हुए एनएचआरसी के प्रतिनिधि, एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

डिजिटल शासन मानव अधिकारों के उल्लंघन के शीघ्र और कुशल निवारण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनएचआरसी ने शिकायत प्रबंधन प्रणाली के रूप में एनएचआरसीनेट पोर्टल विकसित किया है। सभी मानव अधिकार संस्थानों द्वारा इसे अपनाना मामलों को संभालने में दोहराव से बचने और समन्वय में सुधार करने में मदद कर सकता है। अब तक, 27 एनएचआरसी में से केवल 23 ने प्रणाली को अपनाया है और ऑन-बोर्ड हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और नागालैंड के एनएचआरसी अभी तक ऑन-बोर्ड नहीं हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एनएचआरसी, ऑन-बोर्ड होने के बावजूद, अभी तक पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को संसाधित करना शुरू नहीं किया है।

दो सत्रों में विभाजित, सम्मेलन एनएचआरसी के साथ उनकी चुनौतियों को समझने के लिए एक संवादात्मक संवाद के साथ शुरू हुआ। इसके बाद एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के साथ एक सत्र हुआ, जिन्होंने देश में मानव अधिकार तंत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए अपने क्षेत्रीय अनुभवों को साझा किया।

सम्मेलन में एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, गोवा और कर्नाटक के एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्य और प्रतिनिधियों ने चर्चाओं में भाग लिया।

एनएचआरसी और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के लिए उभरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार थे:

- राज्य सरकारों को हिरासत में हिंसा, पुलिस ज्यादतियों और अन्य मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित बढ़ती शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए बेहतर स्टाफिंग, बुनियादी ढांचे, आउटरीच, क्षेत्रीय जुड़ाव और संस्थागत क्षमता के साथ एनएचआरसी को मजबूत करना चाहिए;
- मानव अधिकार आयोगों की सिफारिशों की प्रवर्तनीयता और कानूनी स्पष्टता तथा उनके जनादेश, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है;
- एनएचआरसी को एनएचआरसी, भारत के साथ हैंडहोल्डिंग और एकीकृत डिजिटल डेटा-शेयरिंग के लिए एनएचआरसीनेट पोर्टल से जुड़ना चाहिए ताकि समन्वय और निगरानी में सुधार हो सके और एक ही घटनाओं में कार्यवाही के दोहराव से बचा जा सके;
- एनएचआरसी और एनएचआरसी के विशेष मॉनिटरों और विशेष प्रतिवेदकों को बेहतर जवाबदेही और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के बीच समागम के लिए आपसी समन्वय में सुधार करना चाहिए;
- जेलों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, नशा मुक्ति केंद्रों, आश्रय गृहों, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अन्य कमजोर संस्थानों के दौड़ों सहित समन्वित क्षेत्रीय विजिट, निरीक्षण और संस्थागत फॉलो-अप की आवृत्ति बढ़ाना;
- एनएचआरसी और एनएचआरसी को उन कमजोर व्यक्तियों के लिए जनसंपर्क, कानूनी सहायता और पहुंच तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है जो स्वतंत्र रूप से संस्थानों तक

- पहुंचने में असमर्थ हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बेघर व्यक्ति, बुजुर्ग और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं;
- एसएचआरसी को धोखाधड़ी करने वाले संगठनों, बिचौलियों और निहित स्वार्थों द्वारा मानव अधिकार प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्यों को एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करना चाहिए;
 - एसएचआरसी को शैक्षणिक संस्थानों, मानव अधिकार कोशिकाओं और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता, शिक्षा और संवेदीकरण के लिए एनएचआरसी की पहलों का और विस्तार करने की आवश्यकता है;
- विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों से इनपुट और फीडबैक के आधार पर, विषयगत और क्षेत्र-विशिष्ट मानव अधिकार चिंताओं के लिए सुझाव इस प्रकार थे:
- उल्लंघन होने के बाद केवल दंडात्मक कार्रवाई पर भरोसा करने के बजाय, पुलिस, सुधार कर्मचारियों और सीएपीएफ (CAPFs) के नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से निवारक मानव अधिकार हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है;
 - जेल सुधारों के कार्यान्वयन को संबंधित अधिकारियों द्वारा फॉलो-अप करना, जिसमें भीड़भाड़ कम करना, रहने की स्थिति में सुधार, बेहतर संचार सुविधाएं, जेल मजदूरी का मानकीकरण और ऑब्जर्वेशन होम और शेल्टर होम का विस्तार शामिल है;
 - जिला अधिकारियों और पुलिस के बीच मजबूत समन्वय, कानूनी प्रवर्तन और जागरूकता के माध्यम से बचाए गए बाल श्रमिकों, बंधुआ मजदूरी पीड़ितों और अन्य कमजोर बच्चों के उचित पुनर्वास का फॉलो-अप करना;
 - जिलों और राज्यों में बाल कल्याण समितियों, बाल संरक्षण प्रणालियों और बाल तथा वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की बहाली को मजबूत करना;
 - पुनर्वास, कलंक में कमी, कल्याण पहुंच और समुदाय-आधारित निगरानी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग और दिव्यांगता अधिकारों को प्राथमिकता देना;
 - इंटरसेक्स शिशुओं, जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग बच्चों और अन्य कमजोर समूहों की सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित करना, जिसमें उन्हें प्रभावित करने वाली संस्थागत और चिकित्सा प्रथाओं की निगरानी शामिल है;
 - पीडीएस दुकानों और कमजोर आबादी की सेवा करने वाले संस्थानों सहित कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक गरिमा और पहुंच में सुधार की आवश्यकता;
 - प्रदूषण, जल संदूषण और जलवायु-संबंधी मानव अधिकार चिंताओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक और वास्तविक समय की पर्यावरणीय निगरानी प्रणालियों, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और पर्यावरणीय न्याय मानचित्रण के उपयोग को प्रोत्साहित करना;
 - सफाई कर्मचारियों, डंप-साइट श्रमिकों, ट्रक ड्राइवरों, खदान श्रमिकों और अन्य कमजोर श्रम समूहों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा और कल्याणकारी सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता;
 - सुरक्षित प्रौद्योगिकियों, सुरक्षात्मक उपायों और नैदानिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से सिलिकोसिस जैसे व्यावसायिक रोगों के लिए जागरूकता अभियानों और निवारक तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता;
 - नियमित निरीक्षण, शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र के माध्यम से स्कूलों, आदिवासी छात्रावासों, अस्पतालों, जेलों और अन्य संस्थानों में स्थितियों में सुधार की आवश्यकता;
 - सुनने, देखने और अन्य दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों और समावेशी शैक्षिक सहायता प्रणालियों की उपलब्धता;
 - जेलों में आंगनवाड़ी-लिंकड चाइल्डकैअर सुविधाओं और समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों सहित सफल कल्याण और पुनर्वास मॉडलों को राज्यों में दोहराने की आवश्यकता;
 - फ्रंटलाइन श्रमिकों और आपदा प्रभावित कर्मियों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और कल्याण सहायता सुनिश्चित करना; और
 - स्वास्थ्य के अधिकार ढांचे के हिस्से के रूप में भर्ती मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं को दूर करना।

परामर्शी 2.0:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर सिफारिशें करने के अलावा, आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करने के लिए समय-समय पर केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी भी जारी करता है।

आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ परामर्शों में 'भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का संरक्षण और पुनर्वास', 'विधवाओं के मानव अधिकारों का संरक्षण', 'बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ बच्चों का संरक्षण', 'मानसिक स्वास्थ्य', 'कैदियों द्वारा जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करना', 'ट्रक ड्राइवरों के मानव अधिकारों का संरक्षण', 'कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव का उन्मूलन' और 'खाद्य सुरक्षा और पोषण का

अधिकार' शामिल हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आयोग ने 15 सितंबर 2023 को उनके कल्याण के लिए एक परामर्शी भी जारी किया था। हालांकि, सरकार द्वारा इस परामर्शी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के बाद, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से संबद्ध योजनाओं और नीतिगत उपायों का रोल आउट शामिल है, आयोग ने नोट किया कि उनके अधिकारों और कल्याण को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों के अलावा कई मुद्दे बने हुए हैं।

इसलिए, क्षेत्रीय इंटरैक्शन, हितधारक परामर्शी और कार्यान्वयन की समीक्षाओं सहित अपने निरंतर जुड़ाव के परिणाम के आधार पर, आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण के उद्देश्य को सुधारने के लिए 18 मई 2026 को परामर्शी 2.0 जारी किया।

परामर्शी 2.0 को 11 केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के कार्यालय और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को भेजा गया है। मंत्रालयों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता, गृह मामले, कानून और न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, कॉर्पोरेट मामले, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्रम और रोजगार, आवास और शहरी मामले तथा ग्रामीण विकास शामिल हैं। उनसे परामर्श में निहित सिफारिशों को लागू करने और दो महीने के भीतर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

यह परामर्शी मुख्य रूप से दस प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो समावेशी नीति-निर्माण के लिए आधार का कार्य करते हैं: राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में लैंगिक विविधता का एकीकरण; कानूनों, नियमों और नीतियों की लैंगिक समावेशिता के लिए समीक्षा; एक समावेशी कानूनी ढांचे का निर्माण; संपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच की सुरक्षा; कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा देना; विभिन्न लिंग विशेषताओं और लैंगिक पहचान वाले बच्चों के अधिकारों का संरक्षण; तथा बुजुर्ग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और 'गरिमा गृह' आश्रयों को सुदृढ़ बनाना।

कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- सटीक और समावेशी लिंग-पृथक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए आगामी जनगणना और अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में 'इंटरसेक्स', 'ट्रांसमेन' और 'ट्रांसवुमेन' जैसी विशिष्ट श्रेणियों को शामिल करें;
- स्व-पहचान वाले लिंग की मान्यता और ट्रांसजेंडर तथा इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और उत्तराधिकार कानूनों सहित

कानूनों की समीक्षा करें;

- ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान विरासत, उत्तराधिकार, आवास और संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करें;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी, हिरासत, तलाशी, पूछताछ, कारावास, गोपनीयता और लैंगिक-पुष्टि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के संबंध में पुलिस और सुधार संस्थानों के लिए व्यापक एसओपी (SOPs) विकसित करें;
- भेदभाव, हिंसा या हिरासत में दुर्व्यवहार का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों के लिए समर्पित कानूनी सहायता सेल, हेल्पलाइन और स्वतंत्र शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित करें;
- चिकित्सा प्रमाण की आवश्यकता के बिना स्व-पहचान वाले लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करें, साथ ही लिंग-तटस्थ सुविधाएं और शिकायत-निवारण तंत्र का निर्माण करें;
- समावेश को बढ़ावा देने और भेदभाव को कम करने के लिए शिक्षकों, सलाहकारों, पुलिस, जेल कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए लैंगिक-संवेदीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य करें;
- लैंगिक-पुष्टि स्वास्थ्य सेवा के लिए मानकीकृत और नैतिक चिकित्सा प्रोटोकॉल विकसित करें, लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी की लागत का विनियमन करें और ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए समान बीमा कवरेज सुनिश्चित करें;
- इंटरसेक्स बच्चों पर जबरन या गैर-सहमति वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं पर रोक लगाएं, सिवाय जीवन रक्षक स्थितियों के, साथ ही माता-पिता के लिए परामर्श और मनोसामाजिक सहायता सुनिश्चित करें;
- लिंग-तटस्थ सुविधाओं, समावेशी मानव संसाधन नीतियों, कार्यस्थल शिकायत तंत्र और अनिवार्य विविधता प्रकटीकरण के माध्यम से समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा दें, साथ ही बुजुर्ग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय करें; और
- वृद्ध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में नामांकन हेतु दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा स्व-पहचान के आधार पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, ट्रांसजेंडर-समावेशी वृद्धाश्रम और सामुदायिक आश्रय-गृह स्थापित किए जाएं, जहाँ उनकी गोपनीयता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक सहभागिता और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

लेख:

डॉ. बी.आर. अंबेडकर और भारतीय संविधान में न्याय का विचार

- न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन
एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष

(15 मई 2026 को नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में 18वें डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान के अवसर पर उनके व्याख्यान पर आधारित)



डॉ. बी.आर. अंबेडकर सामाजिक न्याय का पर्याय हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव, श्री एम.ओ. मथाई द्वारा अपनी पुस्तक 'रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज' में उद्धृत एक बातचीत से बेहतर उनके दृष्टिकोण को कोई भी कहावत नहीं दर्शाती है:

“हिंदुओं को वेद चाहिए थे और उन्होंने व्यास को बुलाया जो जाति से हिंदू नहीं थे।

हिंदुओं को एक महाकाव्य चाहिए था, उन्होंने वाल्मीकि को बुलाया जो एक अछूत थे।

हिंदुओं को एक संविधान चाहिए और उन्होंने मुझे बुलाया।”

डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान केवल अकादमिक ज्ञान से पैदा नहीं हुआ था। यह डॉ. अंबेडकर के व्यक्तिगत जीवन के दर्दनाक अनुभवों से निकला था, वे अनुभव जो आधुनिक भारत के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक बनने के बाद भी जारी रहे। इसलिए, डॉ. अंबेडकर का जीवन, दृष्टिकोण और भारतीय संविधान में न्याय का विचार निरंतर पुनर्विचार के योग्य हैं।

संवैधानिक पाठ में "न्याय" की वास्तुकला

भारतीय संविधान में "न्याय" शब्द 50 बार आता है: एक बार प्रस्तावना में और 30 अलग-अलग लेखों में 49 बार। हालांकि, एक मुख्य दार्शनिक अवधारणा के रूप में "न्याय" शब्द केवल 9 बार आता है: एक बार प्रस्तावना में और 8 बार अनुच्छेद 38(1), 39-ए, 46, 139-ए, 142, 225, 243जी और 243डब्ल्यू के अंतर्गत।

प्रस्तावना और अनुच्छेद 38(1): "न्याय" शब्द तीन विशिष्ट प्रकारों में इसके वर्गीकरण के साथ आता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

अनुच्छेद 39-ए: इस शब्द का उपयोग राज्य की उस कानूनी प्रणाली को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी के संदर्भ में किया जाता है जो समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती है।

अनुच्छेद 46: पाठ राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा दे, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए।

अनुच्छेद 139-ए और 142: इस शब्द का प्रयोग पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति के संदर्भ में किया जाता है।

अनुच्छेद 225: इसका उपयोग न्याय प्रशासन में उच्च न्यायालयों की भूमिका के संबंध में किया जाता है।

अनुच्छेद 243जी और 243डब्ल्यू: आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उपायों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए स्थानीय निकायों की शक्तियों पर जोर दिया गया है।

अनुच्छेद 38(1), 39-ए और 46, प्रस्तावना के साथ मिलकर, न्याय का मूलभूत ढांचा प्रदान करते हैं, जो यह दर्शाता है कि डॉ. अंबेडकर ने इस आदर्श के साथ पूरे दस्तावेज को कैसे सींचा। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 366, जिसमें पूरे दस्तावेज में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं शामिल हैं, स्पष्ट रूप से "न्याय" को परिभाषित नहीं करता है।

न्याय को परिभाषित करने की दार्शनिक पहली

इस चूक को समझने के लिए, हमें पूछना होगा: "न्याय" से हमारा क्या तात्पर्य है? शास्त्रीय दर्शन न्याय को लैटिन शब्द 'जस्टिटिया' (iustitia) से उत्पन्न एक मुख्य गुण के रूप में पहचानता है, जिसका अर्थ है निष्पक्षता या धार्मिकता।

हालांकि, एक जटिल समाज में, जो एक व्यक्ति के लिए निष्पक्ष है वह दूसरे के लिए निष्पक्ष नहीं हो सकता है। बहुलवादी लोकतंत्रों में, सही और गलत के बारे में असहमति व्याप्त है। कुछ लोग पिछली गलतियों को सुधारने के तरीके के रूप में आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई का बचाव करते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि उन व्यक्तियों के लिए यह अनुचित है जो केवल योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार हैं।

इतिहास भर, विद्वानों ने इस अवधारणा को परिभाषित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के साथ संघर्ष किया है। 'द इंस्टीट्यूट' में, जो छठी सदी के रोमन कानून के संहिताबद्धकरण का एक घटक है, न्याय को "वह निर्धारित और निरंतर उद्देश्य जो हर आदमी को उसका हक देता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर भी, एक ऐसे समाज में जहां छुआछूत, जाति व्यवस्था और प्रणालीगत भेदभाव जैसी बुराियां व्याप्त थीं, हम एक पारंपरिक परिभाषा

पर भरोसा नहीं कर सकते जो केवल असमान यथास्थिति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देती है।

हार्वर्ड के प्रोफेसर माइकल जोसेफ सैंडेल अपनी पुस्तक 'जस्टिस: व्हाट इज द राइट थिंग टू डू?' में इस जटिलता को संबोधित करते हैं। उन्होंने नोट किया कि एक न्यायपूर्ण समाज को वस्तुओं—यानी आय, कर्तव्यों, अधिकारों और अवसरों—को सही तरीके से वितरित करना चाहिए। हालांकि, कठिन सवाल तब शुरू होते हैं जब हम पूछते हैं कि लोग वास्तव में किसके हकदार हैं और क्यों।

इस नैतिक अस्पष्टता को उजागर करने के लिए, सैंडेल अफगानिस्तान में अमेरिकी नेवी सील (SEALS) के एक टोही मिशन का 2005 का केस स्टडी साझा करते हैं। निहत्थे नागरिक चरवाहों का सामना करने के बाद, टीम को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा: उन्हें रिहा करें और तालिबान के सामने अपनी स्थिति से समझौता करने का जोखिम उठाएं, या उन्हें मार डालें। दया का विकल्प चुनते हुए, उन्होंने नागरिकों को रिहा कर दिया। थोड़ी देर बाद, इकाई पर तालिबान की एक विशाल सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन सील्स और सोलह बचाव कर्मियों की मौत हो गई। एकमात्र जीवित अधिकारी अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपने निर्णय से प्रेरित था।

यह दुखद दुविधा दर्शाती है कि पूर्ण, निर्दोष नैतिक न्याय वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में एक मायावी आदर्श है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य के भीतर इस निहित कठिनाई को महसूस करते हुए, डॉ. अंबेडकर ने माना कि न्याय को व्यावहारिक रूप से तीन मूर्त प्रकारों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

संवैधानिक न्याय के तीन स्तंभ

डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण दो मौलिक अधिकार प्रदान करके राजनीतिक न्याय प्राप्त करना चाहता था: प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार। अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से हर वयस्क नागरिक को चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार अनुच्छेद 330 और 332 के तहत

गारंटीकृत है। हाशिए पर पड़े लोगों को शासन में सीधा हिस्सा देकर, राजनीतिक न्याय व्यवहार में प्राप्त किया गया था।

हालांकि, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना कहीं अधिक जटिल साबित हुआ। नतीजतन, इन पहलुओं को मुख्य रूप से भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) के तहत कानून निर्माताओं के लिए गतिशील कर्तव्यों के रूप में छोड़ दिया गया था, जिसे अनुच्छेद 37 देश के शासन के लिए मौलिक घोषित करता है।

अनुच्छेद 38(1) राज्य पर दो विशिष्ट दायित्व लगाता है:

क) लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके जिसमें न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा; और

ख) आय में असमानताओं को कम करना और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।

यह महसूस करते हुए कि बिना उपचार के अधिकार का केवल प्रदान किया जाना निरर्थक है, अनुच्छेद 39-ए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व लगाता है ताकि आर्थिक या अन्य दिव्यागताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए।

अवसर की इस समानता को सुनिश्चित करने के लिए, संविधान में सामाजिक न्याय की संरचनात्मक अभिव्यक्तियां शामिल हैं:

अनुच्छेद 15(4) राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

अनुच्छेद 15(5) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों, निजी संस्थानों सहित, में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण देने में सक्षम बनाता है जो राज्य की राय में सार्वजनिक

सेवाओं में अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।

आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में कार्य करता है, यह मांग करता है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, जैसा कि अनुच्छेद 38, 39 और 43 में दर्शाया गया है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाकर, भारत ने भूमि सुधारों, कराधान रणनीतियों और धन के संकेंद्रण पर नियमों के माध्यम से मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।

एक तुलनात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान द्वारा जो हासिल किया गया उसकी गति और गहराई वैश्विक ऐतिहासिक उदाहरणों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुलना करने पर अभूतपूर्व हो जाती है।

जबकि 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा ने घोषित किया कि "सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं," 1787 के अमेरिकी संविधान ने सक्रिय रूप से गुलामी को संस्थागत बनाया, प्रत्येक गुलाम को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक व्यक्ति के पांच-तिसरे हिस्से के रूप में संहिताबद्ध किया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मुक्ति घोषणा (1863) और तेरहवें संशोधन (1865) द्वारा गुलामी को औपचारिक रूप से समाप्त करने में 74 साल और एक खूनी गृहयुद्ध लगा। तब भी, नस्लीय अलगाव अगले 90 वर्षों तक बना रहा, जिसे प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन (1896) में सुप्रीम कोर्ट के "अलग लेकिन समान" सिद्धांत के तहत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया, जब तक कि इसे 1954 में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा अंततः समाप्त नहीं किया गया।

कानूनी रूप से बुनियादी मानवीय समानता को मान्यता देने के लिए अमेरिका के शताब्दी-लंबे संघर्ष के विपरीत, भारत की संविधान सभा को छुआछूत को संवैधानिक रूप से समाप्त करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को एक साथ सुरक्षित करने के लिए मजबूत सकारात्मक कार्रवाई शुरू करने में केवल कुछ महीने लगे। यह ऐतिहासिक छलांग डॉ. अंबेडकर के अथक प्रयासों, गहरी प्रतिबद्धता और अद्वितीय दृष्टिकोण के माध्यम से संभव हुई। उनका जीवन पूरी मानवता द्वारा मनाया जाना बाकी है।

डिजिटल अरेस्ट घोटालों के खिलाफ मानव अधिकारों की सुरक्षा

भारत ने एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने में तेजी से प्रगति की है, जनवरी और मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के अनुसार 86% से अधिक परिवारों ने इंटरनेट का उपयोग हासिल कर लिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी के इस तेजी से विस्तार ने शासन को बदल दिया है, कल्याणकारी वितरण तंत्र को मजबूत किया है, वित्तीय समावेशन का विस्तार किया है और क्षेत्रों में नवाचार को सक्षम किया है। हालांकि, इस कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल भेद्यता सतह का विस्तार किया है। चूंकि इंटरैक्शन लगातार डेटा ट्रेल्स छोड़ते हैं जिन्हें मिटाना कठिन होता है, आम नागरिक एक अस्पष्ट डेटा जीवन चक्र के भीतर संरचनात्मक नुकसान पर खुद को पाते हैं। इस भेद्यता की सबसे परेशान करने वाली अभिव्यक्तियों में "डिजिटल अरेस्ट" घोटाला है।

खतरे की शारीरिक रचना और परिमाण

एक डिजिटल अरेस्ट घोटाला तब होता है जब धोखेबाज कानून प्रवर्तन या नियामक अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण करते हैं। सार्वजनिक संस्थानों के अधिकार, प्रतीकों और भाषा को हथियार बनाकर, वे लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक कैद और भय के माध्यम से पैसा निकालने के लिए लीक या अवैध रूप से प्राप्त व्यक्तिगत डेटा का शोषण करते हैं। ये घोटाले इस मिथक को तोड़ते हैं कि साइबर अपराध केवल डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों को लक्षित करता है; इसके बजाय, वे भारत के प्रमुख शहरी और तकनीकी केंद्रों में अत्यधिक शिक्षित, डिजिटल रूप से आश्वस्त नागरिकों को सफलतापूर्वक हेरफेर करते हैं।

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी का वित्तीय और सामाजिक परिमाण चौंकाने वाला है, और यह केवल डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों तक ही सीमित नहीं है। अच्छी तरह से शिक्षित पेशेवर, सेवानिवृत्त अधिकारी, व्यवसायी और वरिष्ठ अधिकारी भी पीड़ित हो गए हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा संकलित डेटा, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है, इंगित करता है:

- कुल नुकसान: पिछले छह वर्षों में, भारतीयों ने साइबर धोखाधड़ी में लगभग 52,976 करोड़ रुपये खो दिए हैं।
- डिजिटल अरेस्ट का प्रभाव: 2025 के अंत तक, भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत डेटा से पता चला कि धोखेबाजों ने केवल डिजिटल अरेस्ट युक्तियों के माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ रुपये निकाले।
- भौगोलिक हॉटस्पॉट: उच्च डिजिटल पैठ और वित्तीय गतिविधि वाले राज्य, जैसे महाराष्ट्र ने 3,203 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज कीं, उसके बाद कर्नाटक में 21 लाख से अधिक

शिकायतों और 2,413 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ दूसरा स्थान रहा।

- हाई-प्रोफाइल शोषण: उल्लेखनीय मामलों में एक उद्योगपति से 7 करोड़ रुपये की जबरन वसूली, एक मुंबई व्यवसायी का 40-दिवसीय वीडियो-कॉल परीक्षण में 58 करोड़ रुपये खोना और एक बेंगलुरु कार्यकारी का 32 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का शिकार होना शामिल है।

ये घटनाएं बताती हैं कि डिजिटल अरेस्ट घोटाले शिक्षा की कमी के कारण सफल नहीं होते हैं, बल्कि निरंतर मनोवैज्ञानिक हेरफेर, अधिकार के प्रतिरूपण और भय-आधारित जबरदस्ती के कारण सफल होते हैं।

डिजिटल अरेस्ट घोटाले क्यों सफल होते हैं

अपराधियों ने कई परिचालन जटिलताओं के कारण संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्र को लगातार पीछे छोड़ दिया है:

- धन का वेग: धोखेबाज सेकंड के भीतर विभिन्न बैंकों और राज्यों में "म्यूल खातों" (अक्सर अनजान छात्रों, श्रमिकों या वरिष्ठ नागरिकों के) की एक श्रृंखला के माध्यम से चोरी किए गए पैसे को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए स्वचालित बैंकिंग प्रणालियों का उपयोग करते हैं।
- "गोल्डन ऑवर" की दुविधा: धोखाधड़ी वाले धन को फ्रीज करने की संभावना समय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

धोखाधड़ी के बाद बीता समय	फंड फ्रीज करने की सफलता दर
1 घंटे के भीतर	90%
2 घंटे के भीतर	70% – 80%
6 घंटे से अधिक	तेजी से गिरकर ~19%

- संस्थागत देरी: बैंक अक्सर 1930 हेलपलाइन के माध्यम से औपचारिक शिकायत दर्ज होने तक खातों को फ्रीज करने का तत्काल कानूनी अधिकार नहीं रखते हैं, जिस समय तक "गोल्डन ऑवर" अक्सर बीत चुका होता है।
- उन्नत और अंतरराष्ट्रीय युक्तियां: अपराधी रैसमवेयर टूल्स के लिए डार्क वेब का लाभ उठाते हैं, डीपफेक और एआई-जनित दस्तावेजों को नियोजित करते हैं और निजी क्रिप्टोकॉर्सेसी वॉलेट में फंड को फनल करते हैं। इसके अलावा, इन ऑपरेशनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में सीमा-पार संबंधों को दर्शाता है, जिससे रिकवरी अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाती है।

मानव अधिकार निहितार्थ

डिजिटल अरेस्ट घोटाले राज्य की जबरदस्ती शक्ति का अनुकरण करते हैं, मनोवैज्ञानिक कारावास की स्थिति पैदा करते हैं जो लोकतांत्रिक शासन का उल्लंघन करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो प्राथमिक लक्ष्य हैं, प्रभाव विशिष्ट रूप से विनाशकारी है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी जीवन भर की बचत छोड़ने के लिए हेरफेर किया जाता है, तो चोट वित्तीय क्षति से कहीं अधिक होती है। यह सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता की उनकी आजीवन भावना को नष्ट कर देता है।

इसके अतिरिक्त, ये घोटाले डेटा गोपनीयता में गहरी प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार की पुष्टि की, वर्षों के अनियमित डेटा संचयन ने अवैध डेटा बाजारों को फलने-फूलने की अनुमति दी है। यह स्कैमर्स को 360-डिग्री पीड़ित प्रोफाइल में अलग-अलग विवरण (आधार, फोन नंबर, यात्रा रिकॉर्ड) को इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है।

वर्तमान पहल और संस्थागत रक्षा

भारत ने साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए कानूनी, नियामक और तकनीकी उपाय सक्रिय रूप से तैनात किए हैं:

- कानूनी ढांचा: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 79) द्वारा लंगर डाले हुए और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और इसके 2025 नियमों द्वारा सुदृढ़, जो डेटा फिडुशियरीज पर सख्त सुरक्षा दायित्व लागू करते हैं।
- रिपोर्टिंग बुनियादी ढांचा: नागरिक वित्तीय धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) और संदिग्ध संचार के शुरुआती चरण की रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी प्लेटफॉर्म पर चक्षु सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- नियामक कार्रवाई: दूरसंचार विभाग (DoT) ने मई 2025 में उच्च-जोखिम वाले नंबरों को फ्लैग करने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) पेश किया, सैकड़ों हजारों धोखाधड़ी वाले सिम कार्डों को ब्लैकलिस्ट किया और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) के साथ एक समन्वित समझौता ज्ञापन (MoU) स्थापित किया।

- उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अखिल भारतीय जांच अधिकार प्रदान करते हुए स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की। साथ ही, गृह मंत्रालय की एक अंतर-विभागीय समिति यूपीआई (UPI) और बैंकिंग ऐप्स के भीतर एक आपातकालीन "क्लि स्वच" का मूल्यांकन कर रही है ताकि सक्रियण पर लेनदेन को तुरंत फ्रीज किया जा सके।

भविष्य की संभावनाएं: मुख्य एजेंडा

इन उपायों के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। डिजिटल अरेस्ट घोटाले ऐसी गति से काम करते हैं जो अक्सर संस्थागत प्रतिक्रिया प्रणालियों को पीछे छोड़ देते हैं। डेटा-संचालित शासन के उदय ने गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को तीव्र कर दिया है। डिजिटल अरेस्ट घोटाले फोन नंबर, आधार विवरण, बैंकिंग जानकारी, यात्रा इतिहास और सोशल मीडिया गतिविधि सहित ऐसी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। नौकरशाही देरी से तकनीकी गति की ओर लड़ाई को स्थानांतरित करने के लिए, भविष्य के विचार-विमर्श को तीन प्रमुख एजेंडे को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- संरचनात्मक बाधाओं पर काबू पाना: "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के राज्य विषय होने के कारण समन्वय अंतराल को संबोधित करना। वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को संस्थागत बनाने और एक वैधानिक रूप से सशक्त, राष्ट्रव्यापी विशेष साइबर अपराध बल पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- सक्रिय रोकथाम: पारिस्थितिकी तंत्र की सतर्कता को अधिकतम करना, जिसमें एआई-संचालित म्यूल डिटेक्शन (जैसे आरबीआई का MuleHunter.AI), सख्त सिम कार्ड जारी करने के प्रोटोकॉल और बैंकों द्वारा तत्काल लेनदेन फ्लैगिंग शामिल है।
- पीड़ित-केंद्रित संरक्षण: शिकायत वास्तुकला को एक प्रतिक्रियाशील शिकायत मॉडल से एक स्वचालित, समन्वित फ्रीज प्रोटोकॉल में बदलना। इसके अतिरिक्त, जिस तरह जमा बीमा ने ऐतिहासिक रूप से बैंकिंग विश्वास को संरक्षित किया, संस्थागत लापरवाही के पीड़ितों के लिए एक संरचित मुआवजा तंत्र स्थापित करना डिजिटल शासन की रक्षा के लिए एक लोकतांत्रिक आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों और सार्वजनिक विश्वास के लिए इस बढ़ते खतरे को संबोधित करने के लिए 9 जून 2026 को एक ओपन हाउस चर्चा निर्धारित की है।

स्वतः संज्ञान

मी डिया रिपोर्टें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इसने इस तरह के कई मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को राहत

पहुंवाई है। मई 2026 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई मानव अधिकारों के उल्लंघन के कथित 10 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

सीवर की सफाई करते समय मौतें

(केस संख्या 591/7/3/2026)

मीडिया ने रिपोर्ट की कि 2 मई 2026 को ग्रेटर फरीदाबाद, हरियाणा में पुरी प्रणाम सोसाइटी में सीवर की सफाई करते समय दो स्वच्छता कर्मियों की मौत हो गई। कथित तौर पर, कर्मचारियों ने किसी भी सुरक्षात्मक गियर या गैस मास्क के बिना, इमारत के एस्टेट मैनेजर के निर्देशों पर एक मैनहोल में प्रवेश किया था। आयोग ने चिंता के साथ नोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एनएचआरसी परामर्श के बावजूद, जो स्वच्छता कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा गियर के साथ सीवर की मशीनीकृत सफाई पर जोर देते हैं, ऐसी घटनाएं देश में अक्सर होती रहती हैं। इसलिए, आयोग ने आयुक्त, नगर निगम और पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, हरियाणा को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें जांच की स्थिति और मृतक व्यक्तियों के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

हॉस्टल में नर्सिंग छात्राओं को तपेदिक होना

(केस संख्या 38/8/9/2026)

2 मई 2026 को, मीडिया ने रिपोर्ट की कि एमजीएमएससी नर्सिंग कॉलेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश के छात्रावास में उन्नीस छात्राएं तपेदिक से संक्रमित हो गईं। कथित तौर पर, 31 मार्च और 17 अप्रैल 2026 को परिसर के दो हालिया निरीक्षणों के दौरान, छात्रावास के प्रबंधन में स्वच्छता और समग्र संस्थागत कामकाज सहित गंभीर कमियां देखी गई थीं। हालांकि, अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप छात्राएं तपेदिक से संक्रमित हो गईं। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, छात्रावास में छात्राएं भीड़भाड़ वाली, नम और अस्वच्छ रहने की स्थिति का सामना कर रही हैं, जिसमें स्वच्छता की भारी कमी है। भोजन की गुणवत्ता खराब है और इसमें बुनियादी पोषण की कमी है। कथित तौर पर उन्हें बीमारी के दौरान आराम से वंचित किया जाता है और छुट्टियों पर भी अस्पताल के कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

सुधार गृह में संवासी की मृत्यु

(केस संख्या 344/34/3/2026-WC)

4 मई 2026 को, मीडिया ने 2 मई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में झारखंड के देवघर जिले के चरकी पहाड़ी क्षेत्र में एक सुधार गृह की 19 वर्षीय महिला संवासी की मौत के बारे में रिपोर्ट दी। उसकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार और पुलिस अधीक्षक, देवघर को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, जब निवासी की स्थिति अचानक बिगड़ गई, तो रिमांड होम के कर्मचारी उसे देवघर सदर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कथित तौर पर, 1 जनवरी 2026 से इस रिमांड होम के पांच निवासियों की मौत हो चुकी है, जिससे इसकी सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

खदान संचालकों के हमले में सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या

(केस संख्या 777/13/37/2026)

12 मई 2026 को, मीडिया ने रिपोर्ट की कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक मंडल राजस्व अधिकारी (MRO), जो पत्थर की खदान का निरीक्षण करने गए थे, पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पूर्व के शिरगांव इलाके में खदान संचालकों से जुड़े लोगों के एक समूह ने हमला किया। हमले में कार्यकर्ता की मौत हो गई और एमआरओ घायल हो गया। कथित तौर पर, पत्थर की खदान में अवैध संचालन के बारे में एक सरकारी पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसलिए, आयोग ने पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र और जिलाधिकारी, पालघर को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति और राजस्व अधिकारी के स्वास्थ्य का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। कथित तौर पर, साइट पर पहुंचने पर पीड़ितों को उनके वाहन से बाहर खींच लिया गया और लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया। अपराधियों ने उनके वाहन में भी तोड़फोड़ की।

पांच पर्यावरण कार्यकर्ताओं की मनमानी गिरफ्तारी

(केस संख्या 401/36/2/2026)

13 मई 2026 को, मीडिया ने रिपोर्ट की कि हैदराबाद, तेलंगाना में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी (KBR) नेशनल पार्क के आसपास पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे पांच पर्यावरण कार्यकर्ताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और एक पुलिस स्टेशन में कई घंटों तक हिरासत में रखा गया। कथित तौर पर, जमानत पर रिहा होने से पहले उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। धाराएं गलत तरीके से रोकने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गंभीर शरारत और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। इसलिए, आयोग ने पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना और जिलाधिकारी, हैदराबाद को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा एक स्वयंसेवक को हिरासत में लिया गया और चार अन्य कार्यकर्ता, जो उसके बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें भी बाद में हिरासत में ले लिया गया।

मिड-डे मील खाने के बाद छात्रों का बीमार पड़ना

(केस संख्या 1033/4/24/2026)

21 मई 2026 को, मीडिया ने रिपोर्ट की कि बिहार के नालंदा जिले में एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 60 छात्र बीमार पड़ गए। कथित तौर पर, छात्रों ने उल्टी, पेट दर्द, मतली और दस्त की शिकायत की। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आयोग ने जिलाधिकारी, नालंदा, बिहार को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, मिड-डे मील छात्रों को बिना शिक्षकों द्वारा चखे परोसा गया, जैसा कि आवश्यक है। कई छात्रों द्वारा बीमारी की शिकायत करने के बाद,

एक शिक्षक ने कथित तौर पर भोजन का सेवन किया, वह भी बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल ले जाया गया।

केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के कारण मौत

(केस संख्या 702/7/16/2026)

25 मई 2026 को, मीडिया ने रिपोर्ट की कि 19 मई 2026 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट से छह लोग घायल हो गए। कथित तौर पर, कारखाने के चिलिंग प्लांट में मरम्मत का काम चल रहा था तभी विस्फोट ने आग को जन्म दिया। उपचार के दौरान 20 मई 2026 को अस्पताल में एक श्रमिक की मौत हो गई। कारखाने से दो अन्य श्रमिकों के कंकाल अवशेष बरामद किए गए। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति और पीड़ितों के परिजनों को दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। कथित तौर पर, कारखाना घरेलू और विदेशी बाजारों के लिए रासायनिक उत्पादों, औद्योगिक स्याही और एल्यूमीनियम पन्नी का निर्माण करता है। कई विस्फोटों के बाद कारखाने के लगभग 300 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया।

निजी अस्पताल में आग लगने के बाद मरीज की मौत

(केस संख्या 243/35/5/2026)

21 मई 2026 को, मीडिया ने 20 मई 2026 को देहरादून जिले, उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना की सूचना दी। कथित तौर पर, 14 मरीजों को बचाया गया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उनमें से एक महिला मरीज को मृत घोषित कर दिया गया जबकि चार अन्य को छुट्टी दे दी गई। आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, विस्फोट एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आग लग गई।

सीवेज टैंक की सफाई करते समय मौत

(केस संख्या 1446/30/2/2026)

26 मई 2026 को, मीडिया ने 24 मई 2026 को पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक आवासीय आवास पर सीवेज टैंक की सफाई करते समय एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने की सूचना दी। कथित तौर पर, मकान मालिक ने एक ठेकेदार को नियुक्त किया था, जिसने काम के लिए दो श्रमिकों को तैनात किया था, लेकिन उन्हें सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सहायता, मास्क या सुरक्षा किट प्रदान नहीं की थी। आयोग ने दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति के साथ-साथ मृतक के परिजनों और घायल श्रमिक को दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। कथित तौर पर, टैंक में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों बाद दोनों श्रमिक बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा गंभीर बना हुआ है।

सेप्टिक टैंक के भीतर जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से मौत

(केस संख्या 471/18/6/2026)

27 मई 2026 को, मीडिया ने रिपोर्ट की कि ओडिशा के कालाहांडी जिले के गौड़ा कार्लाखुंटा गांव में एक घर में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। कथित तौर पर, 26 मई 2026 को, श्रमिक, मकान मालिक और उसके बेटे के साथ, एक राजमिस्त्री को बचाने के दौरान 10 फुट गहरे टैंक के अंदर दम घुटने से मर गए, जो गलती से उसमें गिर गया था। वे कथित तौर पर टैंक की सेंट्रिंग सामग्री हटा रहे थे। आयोग ने मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार और पुलिस अधीक्षक, कालाहांडी को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति, घायल श्रमिक का स्वास्थ्य और पीड़ितों को बांटी गई मुआवजे की राशि, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

राहत के लिए सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। मई 2026 में, 06 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (NoK) के लिए 41.25 लाख रुपये की सिफारिश की गई थी, जिसमें पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1.	4053/4/20/2023-JCD	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	बिहार सरकार
2.	7/16/4/2023-JCD	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	मिजोरम सरकार
3.	2655/20/30/2021-JCD	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	राजस्थान सरकार
4.	1876/1/39/2025	पुलिस कर्मियों द्वारा अपमानजनक भाषा जिससे अपमान और मानसिक आघात हुआ	0.75	आंध्र प्रदेश सरकार
5.	1076/10/1/2022	पुलिस द्वारा असत्यापित तथ्यों पर गैरकानूनी गिरफ्तारी	0.50	कर्नाटक सरकार
6.	7/18/5/2025	एक लड़के की मौत और दूसरे को स्थायी चोट के मामले में पुलिस की निष्क्रियता, जो कुछ लोगों द्वारा जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए इलेक्ट्रिक ट्रेप के कारण हुई	2.50	ओडिशा सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

मई 2026 के दौरान, आयोग ने सार्वजनिक प्राधिकरणों से अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियां निर्देशों के आधार पर 11 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों (NoK) को 67.08 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र.सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकरण
1.	830/7/15/2021-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	हरियाणा सरकार
2.	10/14/15/2019-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	7.50	मणिपुर सरकार
3.	3153/18/14/2020-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	ओडिशा सरकार
4.	1947/22/41/2018-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	तमिलनाडु सरकार
5.	1654/25/26/2020-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
6.	216/3/11/2023-JCD	न्यायिक हिरासत में मौत	10.00	असम सरकार
7.	5800/30/2/2022-JCD	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
8.	369/34/5/2020-AD	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	झारखंड सरकार
9.	19/2/13/2023-ED	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1.00	अरुणाचल प्रदेश सरकार
10.	3225/7/6/2022	बिजली के झटके से मौत	13.58	हरियाणा सरकार
11.	239/19/1/2021	पुलिस फायरिंग में मौत	5.00	पंजाब सरकार

केस स्टडी

क ई मामलों में, आयोग ने पाया कि राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत, पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ। इसलिए, केस-दर-केस आधार पर, आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों (NoK) को मौद्रिक राहत भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिसों का जवाब देने के लिए राज्यों के दृष्टिकोण की योग्यता ने आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को मौद्रिक राहत की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश इस प्रकार है:

बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की निष्क्रियता

(केस संख्या 4421/4/8/2021)

यह मामला 2020 में बिहार के पूर्वी चंपारण के कुंडावा चैनपुर बाजार में नेपाली मूल की एक नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित था। इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेपाल द्वारा एनएचआरसी, भारत को भेजा गया था। मकान मालिक और उसके समर्थकों ने कथित तौर पर पीड़िता के माता-पिता को बंधक बना लिया और जबरन शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने आरोपों को सच पाया और कुंडावा चैनपुर के एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) को सबूत छिपाने और उससे छेड़छाड़ करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन में तैनात कर्मचारियों ने भी बताया कि अपराध की जानकारी होने के बावजूद एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

एसएचओ ने बाद में अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मई 2022 में उनके और बारह अन्य गिरफ्तार सह-आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। नतीजतन, आयोग ने सिफारिश की कि बिहार सरकार पीड़िता के परिजनों (NoK) को राहत के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका अनुपालन किया गया। मामला बंद कर दिया गया है और एनएचआरसी, नेपाल को भी सूचित कर दिया गया है।

मुठभेड़ में मौत

(केस संख्या 19/2/13/2022-ED)

यह मामला 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले, खोंसा में रक्षा/पुलिस बलों के साथ मुठभेड़ में दो कथित एनएससीएन-आईएम (NSCN-IM) विद्रोहियों की मौत से संबंधित था। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने देखा कि विद्रोहियों द्वारा फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षा में रक्षा/पुलिस बलों की ओर से कोई चूक नहीं थी। गोलीबारी में एक नागरिक सहित दो व्यक्तियों की मौत हो गई और एक अन्य नागरिक घायल हो गया। नतीजतन, आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार मृतक नागरिक के परिजनों (NoK) को 5 लाख रुपये और घायल को 50,000 रुपये का भुगतान करे, जिसका अनुपालन किया गया।

जेल में आत्महत्या

(केस संख्या 216/3/11/2023-JCD)

यह मामला 2023 में असम के जिला जेल, कोकराझार में 34 वर्षीय विचाराधीन

कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि पीड़िता ने संबंधित जेल अधिकारियों द्वारा पीड़िता को उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने में लापरवाही के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या की। नतीजतन, अपने अधिकारियों की चूक के लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि वह पीड़िता के परिजनों (NoK) को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

बिजली का करंट लगने से मौत

(केस संख्या 3225/7/6/2022)

यह मामला 2022 में हरियाणा के हिसार जिले में ट्रांसफार्मर से लटकते ढीले तार के संपर्क में आने के बाद बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत से संबंधित था। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने राज्य के पदाधिकारियों की लापरवाही को नोट किया और देखा कि दुर्घटना पूरी तरह से टाली जा सकती थी। नतीजतन, अपने अधिकारियों की चूक के लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि वह मृतक के परिजनों (NoK) को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे। जवाब में, राज्य सरकार ने सूचित किया कि उसने मामले पर एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ-साथ आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में 8.58 लाख रुपये का मुआवजा दिया।

पुलिस फायरिंग में मौत

(केस संख्या 239/19/1/2021)

यह मामला 2021 में पंजाब के अमृतसर ग्रामीण में जंडियाला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक चेक पोस्ट पर पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित था। घटना तब हुई जब उसने कथित तौर पर बैरिकेड्स तोड़कर चेक पोस्ट से गुजरने की कोशिश की। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने देखा कि पुलिस कर्मियों ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया था और जीवन के नुकसान के लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, आयोग ने सिफारिश की कि पंजाब सरकार मृतक के परिजनों (NoK) को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका अनुपालन किया गया।

मौके पर पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में मौके पर पूछताछ करने के लिए जांच अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

• केस संख्या 2615/7/10/2022-AD:

4 से 8 मई 2026 तक, करनाल, हरियाणा में पुलिस द्वारा कथित तीसरे दर्जे की यातना के कारण पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

• केस संख्या 5665/24/31/2023:

7 से 6 मई 2026 तक (नोट: तारीख संभवतः 7 से 16 मई), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक व्यक्ति की केंद्र के प्रबंधक और उसके साथियों द्वारा पिटाई के बाद मौत के आरोपों की मौके पर पूछताछ की गई।

• केस संख्या 1641/36/2/2025:

18 से 22 मई 2026 तक, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के बचुपल्ली में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज छात्रावास में मानसिक उत्पीड़न के कारण प्रथम वर्ष के इंटरमीडिएट छात्र द्वारा आत्महत्या के आरोप की मौके पर पूछताछ की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना तेलंगाना में निजी आवासीय जूनियर कॉलेजों में छात्रों की मौत का एक आवर्ती पैटर्न दर्शाती है, जिसका कारण अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, मानसिक उत्पीड़न, परामर्श और भावनात्मक समर्थन की कमी, खराब छात्रावास प्रबंधन और कॉलेज अधिकारियों की लापरवाही है, जो उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

• केस संख्या 26049/24/57/2022-JCD:

20 से 23 मई 2026 तक, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 28 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत के आरोप की मौके पर पूछताछ की गई।

• केस संख्या 9030/24/30/2025:

18 से 22 मई 2026 तक, इस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के पीएस कासना की पुलिस ने शिकायतकर्ता के पति को कुछ जानकारी प्राप्त करने के बहाने अवैध रूप से हिरासत में लिया और उसके परिवार को उससे मिलने नहीं दिया। बाद में, उसे एक पंजीकृत मामले में झूठा फंसाने के लिए एक मंचित, नकली मुठभेड़ में पैर में गोली मार दी गई।

• केस संख्या 407/22/42/2026:

25 से 29 मई 2026 तक, इस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि विल्लुपुरम जिले, विशेष रूप से मरक्कानम के तटीय क्षेत्रों में नमक पैन श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी और उच्च लवणता में लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इन श्रमिकों के पास दस्ताने, जूते या सुरक्षात्मक आईवियर जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण नहीं हैं और कई त्वचा संक्रमण, आंखों की समस्याओं, निर्जलीकरण और पुरानी मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित हैं।

• केस संख्या 18649/24/30/2024:

25 से 29 मई 2026 तक, इस आरोप की मौके पर पूछताछ की गई कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश के गौर सिटी-2, प्रिस्टीन एवेन्यू में रहने वाले कुछ वरिष्ठ नागरिकों को पीएस बिसरख की पुलिस द्वारा धारा 126, 135 और 170 बीएनएस के तहत गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने केस के दस्तावेज नहीं दिए और उन्हें धमकाया, जिससे उनके संभावित विस्थापन का डर पैदा हुआ।

• केस संख्या 3196/30/9/2023:

25 से 29 मई 2026 तक, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ और समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता के आरोपों की मौके पर पूछताछ की गई।

क्षेत्रीय दौरे

क्षेत्रीय दौरे: विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नामित किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, ऑब्जर्वेशन होम और समान संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट लिखते हैं जो उनकी टिप्पणियों और भविष्य की कार्रवाई के सुझावों का विवरण देती हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 18 विशेष मॉनिटर नियुक्त किए हैं जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है।

विशेष प्रतिवेदक

12 से 16 मई 2026 तक, श्री सईद अहमद बाबा ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, जहां उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जमीनी स्तर पर मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए, उन्होंने जुली (ईटानगर) में जिला जेल, चिंपू में गोल्डन जुबली आंगनवाड़ी केंद्र, दीपक नबाम लिविंग होम (एनजीओ) और मिदुपू पापुम पारे में राज्य मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल का भी निरीक्षण किया।

11 से 16 मई 2026 तक, श्री सुभाष चंद्र ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा, जशपुर

और सरगुजा जिलों में खनन क्षेत्रों का दौरा किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रय गृहों, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं, जेलों और निरोध केंद्रों, साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों और छात्रावासों सहित प्रमुख संस्थानों के भीतर मानव अधिकार स्थितियों का आकलन करना था। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने डीजीपी (जेल) और विभिन्न जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

विशेष मॉनिटर

4 से 8 मई 2026 तक, डॉ. पूनम मलकोंडया ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में किच्छा और रुद्रपुर और नैनीताल जिले में हल्द्वानी का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने प्राथमिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) में मानव अधिकार स्थिति का आकलन किया, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सीधे बातचीत की। उन्होंने शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM), जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिलाधिकारी के साथ व्यापक समीक्षा बैठकें भी कीं। इन चर्चाओं ने साक्षरता स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल स्वच्छता, मिड-डे मील योजना के कार्यान्वयन और आंगनवाड़ी केंद्रों में

प्रारंभिक बचपन शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।



► एनएचआरसी, भारत की विशेष मॉनिटर, डॉ. पूनम मलकोंडया, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के रामनगर गाँव में एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा करती हुईं

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और निर्माण करने के लिए अनिवार्य है। इस उद्देश्य के लिए, यह विशेष रूप से विश्वविद्यालय-स्तरीय छात्रों के मानव अधिकार संवेदीकरण और अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए इंटरनशिप कार्यक्रम, सहयोगी प्रशिक्षण और मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न अन्य गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इंटरनशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं। गर्मियों और सर्दियों में महीने भर की व्यक्तिगत इंटरनशिप और छह ऑनलाइन लघु अवधि इंटरनशिप (OSTI) कार्यक्रम नई दिल्ली में इसके परिसर में आयोजित किए जाते हैं। OSTI छात्रों को दिल्ली में उनकी यात्रा और ठहरने के लिए कोई खर्च किए बिना उनसे जुड़ने में मदद करते हैं।

ऑनलाइन लघु अवधि इंटरनशिप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 18 से 29 मई 2026 तक विश्वविद्यालय-स्तरीय छात्रों के लिए अपना दो सप्ताह का ऑनलाइन लघु अवधि इंटरनशिप कार्यक्रम (OSTI) आयोजित किया। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के 100 छात्रों ने इंटरनशिप में भाग लिया। उन्हें देश भर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,417 आवेदकों में से चुना गया था।

समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इंटरन को बधाई दी और उनसे अकादमिक सफलता से परे जाकर दयालु और जिम्मेदार इंसान बनने का आग्रह किया। संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानव अधिकारों के महत्व को उजागर करते हुए, उन्होंने



► एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे अकादमिक सफलता से आगे बढ़कर संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनें

कहा कि आज की पीढ़ी को न केवल परिवर्तन और सुधारों की मांग करने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देने पर भी ध्यान देना चाहिए।

गणित, विज्ञान, दर्शन और शिक्षा में भारत के ऐतिहासिक योगदान को उजागर करते हुए, जिसमें आर्यभट्ट, बोधायन और तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का काम शामिल है, अध्यक्ष ने इंटरनेट से समाज में प्रेम, दान और क्षमा की भावना को बहाल करने पर विचार करने का आग्रह किया। मानव अधिकार विमर्श के विकास का उल्लेख करते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि लगभग 2000 वर्षों तक, समाज धार्मिक साहित्य में निहित नैतिक निषेधों और कर्तव्यों पर निर्भर रहे। हालांकि, जब इस तरह के ढांचे विफल हो गए, तो विमर्श धीरे-धीरे कर्तव्यों से अधिकारों की ओर स्थानांतरित हो गया, जिससे 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम हुआ, जिसके तहत एनएचआरसी की स्थापना की गई थी। उन्होंने कर्तव्यों और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और इंटरनेट से बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया।

अपने समापन भाषण में, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इंटरनेट से जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह करते हुए, जिनमें भीख मांगने में शामिल लोग, दिव्यांग लोग और तस्करी के पीड़ित शामिल हैं, उन्होंने कहा कि करुणा और सहानुभूति न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाती है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वे OSTI के दौरान प्राप्त ज्ञान और संवेदीकरण को आगे बढ़ाएंगे।

इससे पहले, कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने ऐसी स्थिति में मानव अधिकार जागरूकता और संवाद के बढ़ते महत्व को उजागर किया जब दुनिया लगभग 130 सशस्त्र संघर्षों का सामना कर रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि 98 देश वर्तमान में बाहरी संघर्षों का अनुभव कर रहे हैं और वैश्विक आर्थिक नुकसान लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें दुनिया भर में 122 मिलियन से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए हैं, जो उनके मानव अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने समाज में संचार और भागीदारी के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसने कई मामलों में अशांति और अस्थिरता में भी योगदान दिया है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़े हुए विरोध प्रदर्शन कभी-कभी हिंसक हो गए हैं और विभिन्न देशों में राजनीतिक विकास को प्रभावित किया है।

न्याय और निष्पक्षता के आसपास नैतिक और दार्शनिक सवाल का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने इंटरनेट को संवाद और अलग-अलग दृष्टिकोणों के लिए खुला रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सहानुभूति या 'दया' के महत्व पर जोर देते हुए, जिसे भारतीय शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, उन्होंने कहा कि इंटरनेट कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को समाज और मानव अधिकार के मुद्दों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण, निष्पक्ष और संवेदनशील बनने में मदद करना है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान शुरु की गई OSTI, छात्रों को वित्तीय और तार्किक बाधाओं



का सामना किए बिना देश भर से भाग लेने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कार्यक्रमों की संख्या एक वर्ष में तीन या चार से बढ़ाकर छह कर दी गई है, जबकि सेवन प्रति बैच 80 से बढ़ाकर 100 छात्र कर दिया गया है। यह एनएचआरसी को इस प्रारूप के माध्यम से एक वर्ष में 600 छात्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। उन्होंने उन्हें संवेदनशील होने और जरूरतमंदों को सहायता देने के साथ-साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से पहले प्रतिबिंबित करने की क्षमता विकसित करने के लिए समानता, न्याय और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनएचआरसी की संयुक्त सचिव श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक ने इंटरनेशनल कार्यक्रम का विस्तृत अवलोकन दिया। इंटरने के पास 45 क्यूरेटेड सत्र थे, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, मानव अधिकार रक्षकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और कानून प्रवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, बाल अधिकार और मानव अधिकार संरक्षण में विशेषज्ञों के पूल से 40 प्रख्यात वक्ता शामिल थे। इंटरने के पास उनके कामकाज में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन, तिहाड़ जेल और आशा किरण शेल्टर होम के वर्चुअल टूर भी थे। कार्यक्रम में पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिताएं, व्याख्यान और समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुतियां जैसी संवादात्मक शिक्षण गतिविधियां भी शामिल थीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनएचआरसी, भारत विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों का समर्थन करता है। इन्हें एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी संबोधित किया जाता है। 13 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में 'बढ़ता तापमान, साझा समाधान' विषय पर क्लाइमेट ट्रेन्ड्स द्वारा आयोजित इंडिया हीट समिट 2026 का समर्थन किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गर्मी के तनाव के मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करना था। एक विशेष संबोधन देते हुए, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने जोर दिया कि अत्यधिक गर्मी एक मौसमी या पर्यावरणीय चिंता होने से आगे बढ़कर एक मौलिक मानव अधिकार चुनौती बन गई है।

उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान सीधे तौर पर जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षित कार्य स्थितियों, पानी, आवास और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डालता है। उन्होंने उल्लेख किया कि बाहरी श्रमिक, कम आय वाले परिवार, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग इस बहु-क्षेत्रीय संकट का असमान बोझ उठाते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि और ऊर्जा मांगों को सक्रिय रूप से बाधित कर रहा है।

भारत के नीतिगत ढांचे को उजागर करते हुए, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के लू के दिशानिर्देश, गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान



► राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल, 'इंडिया हीट समिट 2026' में विशेष संबोधन देते हुए

और राज्य-स्तरीय हीट एक्शन प्लान, श्री लाल ने जोर दिया कि अगला महत्वपूर्ण कदम इन दिशानिर्देशों को जमीनी स्तर की सुरक्षा में बदलना है। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी, भारत ने लगातार कमजोर राज्यों से तैयारी को मजबूत करने का आग्रह किया है, जलवायु लचीलापन को न्याय, समावेशन, जवाबदेही और मानवीय गरिमा में मजबूती से निहित किया है।



A section of packed audience

संकट को कम करने के लिए, श्री लाल ने प्रकृति-आधारित शहरी नियोजन, कूलिंग और पानी तक समान पहुंच, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए गर्मी-उत्तरदायी श्रम उपाय, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और ऊर्जा गरीबी का मुकाबला करने के लिए किफायती, ऊर्जा-कुशल कूलिंग समाधानों सहित प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उजागर किया।

उन्होंने उल्लेख किया कि अत्यधिक गर्मी संस्थागत मूल्यों की एक निर्णायक परीक्षा है। जलवायु कार्रवाई के केंद्र में मानवीय गरिमा को रखकर, देश मानव अधिकारों को अपने मुख्य मार्गदर्शक मूल्य के रूप में सफलतापूर्वक पुष्टि कर सकता है। इस अवसर पर, 'भारत में निम्न और मध्यम आय वाले आवासों में रात्रिकालीन थर्मल स्ट्रेस' शीर्षक वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी की गई।

ज्ञानार्जन दौरे

कॉलेज-स्तरीय छात्रों और उनके संकायों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार इसके कामकाज के प्रति एक्सपोजर पाने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया जाता है। मई 2026 में निम्नलिखित संस्थानों के कुल 207 छात्र और 9 संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया:



- बिमल चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ, कांडी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के 3 संकायों के साथ 33 छात्रों का एक समूह।



- दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, लॉ स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश से 28 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- डॉ विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र से 29 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों का एक समूह।



- सविता स्कूल ऑफ लॉ, चेन्नई, तमिलनाडु से 59 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों का एक समूह।


अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विविध पहलुओं पर विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और पहलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना जारी रखता है। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, विभिन्न देशों के संस्थागत प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए इसके जनादेश, कामकाज और पहलों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इसके अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग के अनुभवों और उपलब्धियों को साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (NHRIs) के साथ सहयोग को मजबूत करने और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में उभरती मानव अधिकार चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और व्यस्तताओं में भाग लेते हैं।

ऑनलाइन व्यस्तताएं

- 6 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट सुश्री लक्ष्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव अधिकार पर एपीएफ (APF) वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में भाग लिया।



- 13 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती साईडिंगपुई छकछुआक; प्रेजेंटिंग ऑफिसर श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान, जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट श्री राघवेंद्र सिंह और सुश्री प्रत्युष राठौर ने राउल वालेनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ बैठक में भाग लिया।
- 13 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट सुश्री प्रेरणा हसीजा ने गैन्हारी (GANHRI) बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स वर्किंग ग्रुप की मासिक बैठक में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उनसे जुड़ी उभरती चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने और एक व्यापक कार्यकारी ढांचे के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा और अधिक सुदृढ़ है, जिसमें विधायिका और न्यायपालिका, एक जीवंत और सतर्क मीडिया के साथ शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) पूरे देश में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, कई राष्ट्रीय आयोग, संबंधित राज्य-स्तरीय निकायों द्वारा समर्थित, समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। साथ मिलकर, ये संस्थान महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, जवाबदेही, न्याय और समावेशी कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करते हैं। यह कॉलम समाज में गरिमा, न्याय और समानता की संस्कृति को मजबूत करने और मानव अधिकारों के कारण को आगे बढ़ाने में विभिन्न एसएचआरसी द्वारा की गई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहलों को उजागर करना चाहता है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

मई 2026 के दौरान, अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा के नेतृत्व में हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (HSHRC) ने मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कई व्यापक कार्रवाई शुरू की। आयोग ने नूह जिले में संस्थागत उपेक्षा को संबोधित किया, जहां प्राथमिक विद्यालय (विशेष रूप से कुबदा बास और कालू बास) मवेशी शोध और खुले खेतों से चल रहे थे, जिससे बच्चों को पशु कचरे के पास अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, एनसीआरबी (NCRB) अपराध रिपोर्ट 2024 का हवाला देते हुए, एचएसएचआरसी ने पोक्सो (POCSO) अपराधों, हत्या और मानव तस्करी में खतरनाक वृद्धि के संबंध में पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों से तत्काल कार्य योजनाओं की मांग की, जिसने हरियाणा को देश में बच्चों के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दी है। इसी तरह, एनसीआरबी जेल सांख्यिकी भारत-2024 का विश्लेषण करते हुए, आयोग ने हिरासत में बढ़ती आत्महत्याओं, हिंसक जेल झड़पों और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की



► एचएसएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति ललित बत्रा और वरिष्ठ अधिकारियों ने जेल सुधारों पर परामर्श बैठक की

अनुपस्थिति को संबोधित करने के लिए गृह और जेल विभागों से तीन साल का डेटा ऑडिट मांगा।

फरीदाबाद में एक गरीब परिवार द्वारा एक मोटर चालित गाड़ी पर मृत महिला को ले जाने के लिए मजबूर किए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक शिकायत के जवाब में, आयोग ने सभी जिला अस्पतालों में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त शव वाहन (hearse vans) अनिवार्य करने का राज्य-व्यापी जनादेश जारी किया। एचएसएचआरसी ने झज्जर और बहादुरगढ़ जिलों में सरकारी अस्पतालों के खिलाफ एक कथित रैकेट पर समयबद्ध पूछताछ का आदेश दिया, जिसमें साइट पर विशेष सार्वजनिक डॉक्टर होने के बावजूद निजी क्लीनिकों में अत्यधिक रोगीरेफरल शामिल थे।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग (MPSHRC) के अध्यक्ष, डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने विदिशा जिले का दौरा किया और मानव अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण से संबंधित उपायों की समीक्षा की। प्रशासनिक समीक्षा के हिस्से के रूप में, उन्होंने जिले की पेयजल आपूर्ति और

गर्मी के पानी के प्रबंधन की व्यवस्था का आकलन किया, जिसमें पानी के टैंकों की तैनाती, नलकूपों और हैंड पंपों की परिचालन स्थिति और अमृत 2.0 योजना के तहत लागू की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति शामिल है। उन्होंने जिले की समग्र प्रशासनिक व्यवस्था, आयोग के स्थानीय कामकाज और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए मौजूद तंत्रों की भी जांच की।

मई 2026 में, एमपीएसएचआरसी की सिफारिशों पर 14 मामलों में मृतक व्यक्तियों के कानूनी वारिस को 1 करोड़ रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत का भुगतान किया गया। इनमें तालाबों, निर्माणाधीन जलाशयों, कुओं और खेतों की नालियों में बच्चों और अन्य व्यक्तियों के डूबने की घटनाएं; आग लगने से मौत और संपत्ति का नुकसान; बाघों, जंगली भालू, जंगली सूअरों और तेंदुए के हमलों से हुई मौतें और चोटें; मिक्सर मशीन में फंसे एक मजदूर की मौत; टेंट लगाने वाले श्रमिक की बिजली के झटके से मौत; जहरीले सांप के काटने से मौतें और स्कूल के मैदान पर घातक बिजली गिरना शामिल है।

एमपीएसएचआरसी के हस्तक्षेप ने लंबी लंबित सेवानिवृत्ति लाभों में प्रशासनिक देरी, स्वास्थ्य देखभाल करने वालों के लंबित वेतन और पुलिस लापरवाही से संबंधित कई सार्वजनिक शिकायत मामलों में 5 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता और मुआवजे का वितरण भी सुनिश्चित किया।



► एमपीएसएचआरसी के अध्यक्ष, डॉ. अवधेश प्रताप सिंह, विदिशा जिले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए

संक्षेप में समाचार

- 2 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने समाचार भारती सांस्कृतिक संघ, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा आयोजित नारद जयंती के लिए मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने और इस तरह की घटनाओं के स्वतः संज्ञान को सुविधाजनक बनाने में मीडिया के योगदान को महत्व देता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और

जन जागरूकता पैदा करने के लिए लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

सदस्य ने कहा कि केवल जिम्मेदार मीडिया ही लोगों और संस्थानों के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है, अन्याय, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय चिंताओं और मानव अधिकारों के उल्लंघन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करके सामाजिक चेतना में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकारों, प्रख्यात मीडिया हस्तियों और प्रतिष्ठित कार्टूनिस्टों ने भाग लिया, यह लोकतांत्रिक

मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों को सार्वजनिक ध्यान में लाने में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

- 6 मई 2026 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने 'रणनीतिक निर्णय लेने' केंद्रित विषय पर विज्ञान प्रशासकों के लिए INSA-CBC प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। भारत की वकसित और नवाचार-संचालित राष्ट्र बनने

की यात्रा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि जबकि विज्ञान ज्ञान को आगे बढ़ाता है, यह अच्छा शासन और मजबूत संस्थान हैं जो प्रभावी और रणनीतिक निर्णय लेने के माध्यम से प्रगति को बनाए रखते हैं। उन्होंने जोर दिया कि विज्ञान प्रशासकों को निश्चिन्ता की तलाश से आगे बढ़ना चाहिए और जटिलता और अपूर्ण जानकारी के बीच सूचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि रणनीतिक निर्णय दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिणामों को आकार देते हैं, श्री लाल ने कहा कि स्पष्टता, जवाबदेही, पारदर्शिता, जवाबदेही और बौद्धिक अखंडता शासन के आवश्यक स्तंभ हैं। उन्होंने स्वायत्तता को जवाबदेही के साथ संतुलित करने, समय पर निर्णय लेने के महत्व और संस्थागत साइलो पर सहयोग की आवश्यकता के बारे में भी बात की। हरित क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान और कोविड-19 प्रबंधन जैसी भारत की सफलताओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने नोट किया कि समन्वित प्रयास और जन-केंद्रित दृष्टिकोण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने की कुंजी हैं। उन्होंने विज्ञान प्रशासकों से दृष्टि, अनुशासन, सहानुभूति, जिम्मेदारी और अखंडता के साथ नेतृत्व करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि आज लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों में भारत के भविष्य को आकार देंगे।

- 11 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने श्री विवेकानंद जूनियर कॉलेज, गर्ल्स कैम्पस,



अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में मानव अधिकारों पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा, समानता, गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता के अधिकार और ऑनलाइन शोषण से सुरक्षा शामिल है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और जागरूकता युवाओं को शोषण और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए आत्मविश्वास और साहस देती है। उन्होंने रेखांकित किया कि सशक्त और शिक्षित युवा एक मजबूत परिवार, प्रगतिशील समाज और विकसित राष्ट्र की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने युवाओं का सम्मान करता है, वह वास्तव में एक विकसित समाज है।

- 12 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के बालागा में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कार्यक्रम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन में नर्सों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नर्सों न केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं, बल्कि गरिमा, करुणा, प्रतिबद्धता, सहानुभूति, समानता और निस्वार्थ सेवा की संरक्षक भी हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि नर्सों मौलिक मानव अधिकारों की संरक्षक हैं, जिनमें स्वास्थ्य, देखभाल और सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार शामिल है। उन्होंने नर्सों द्वारा दी गई समर्पित सेवाओं की सराहना की, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, और एक मानवीय और स्वस्थ समाज के निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।



- 14 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में अर्बन मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आयोजित 'स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर की दिशा में' केंद्रित विषय पर एक संवाद में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, श्री लाल ने जोर दिया कि स्वच्छता कार्य केवल एक शहरी प्रबंधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, समानता, व्यावसायिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों का मामला है। उन्होंने कहा कि हर सीवर या सेप्टिक टैंक की मौत रोकी जा सकती है और यह जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

स्वच्छता श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले निरंतर जोखिमों को उजागर करते हुए, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों से, उन्होंने एआई-सक्षम निगरानी, रोबोटिक्स, जीआईएस मानचित्रण, गैस डिटेक्शन सिस्टम और मशीनीकृत सीवर सफाई जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्वच्छता कार्य के पूर्ण मशीनीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस संबंध में एनएचआरसी परामर्श की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने 14-सूत्रीय दिशानिर्देशों को अक्षरशः लागू करने के महत्व पर रेखांकित किया।



उन्होंने नमस्ते योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन और ओडिशा की गरिमा पहल जैसी पहलों को गरिमा-केंद्रित स्वच्छता शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में भी संदर्भित किया। व्यावसायिक सुरक्षा, पुनर्वास और कानूनी सुरक्षा के सख्त प्रवर्तन के प्रति एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि एक वास्तव में विकसित भारत वह होगा जहां कोई भी व्यक्ति स्वच्छता कार्य के लिए जीवन जोखिम में डालने के लिए मजबूर नहीं होगा और प्रत्येक स्वच्छता कार्यकर्ता को गरिमा, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। इस अवसर पर, प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री एम. के. रैना को उनकी फिल्म 'सम्मान' के लिए सम्मानित भी किया गया, जो स्वच्छता श्रमिकों की गरिमा और जीवित वास्तविकताओं को उजागर करती है।

- 15 मई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली में आयोजित 18वें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उनके संबोधन पर आधारित एक लेख न्यूजलेटर के पिछले पृष्ठों में प्रकाशित किया गया है।
- 19 मई 2026 को, श्री जोगिंदर सिंह ने एनएचआरसी, भारत में रजिस्ट्रार (विधि) के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और मध्य प्रदेश में अपने मूल कैडर में



शामिल होंगे। उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह के दौरान, महासचिव, श्री भरत लाल ने उनके अनुशासन, असाधारण व्यावसायिकता और उन्हें सौंपी गई सभी जिम्मेदारियों के त्वरित निष्पादन की सराहना की। श्री लाल ने आयोग के कानून प्रभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के प्रति श्री सिंह की समर्पित प्रतिबद्धता को भी स्वीकार किया और उनकी सराहना की। श्री सिंह ने 1 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आयोग में शामिल हुए थे।

- 20 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने ज्ञान सरस्वती फाउंडेशन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना द्वारा आयोजित साधना आवासीय शिविर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समानता, टीम वर्क और साथी इंसानों के लिए सम्मान को बढ़ावा देते हैं। खेल युवाओं को सशक्त बनाते हैं, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं।

सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास लिंग, जाति, धर्म या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव के बिना खेलों में भाग लेने का समान अवसर होना चाहिए। उन्होंने एथलीटों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने और खेल संस्थानों में निष्पक्षता, समावेशन और समान अवसर जैसे मानव अधिकार मूल्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने महिलाओं, बच्चों और अलग-अलग दिव्यांग खिलाड़ियों को सुरक्षित और समावेशी खेल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सदस्य ने दोहराया कि खेल युवाओं के बीच हिंसा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सामाजिक अशांति को रोकने में उनकी ऊर्जा और समय को उत्पादक चीजों में लगाकर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।



- 30 और 31 मई 2026 को, एनएचआरसी, भारत की प्रेजेंटिंग ऑफिसर, श्रीमती नीरू कंबोज ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा द्वारा आयोजित 'संस्थागत संरचनाओं पर पुनर्विचार करके घरेलू हिंसा की महिला पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाना' विषय पर हितधारकों के राष्ट्रीय परामर्श में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।



आगामी कार्यक्रम

- 1 जून 2026 से, एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली में अपने परिसर में स्नातकोत्तर-स्तरीय छात्रों के लिए अपनी महीने भर की व्यक्तिगत ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम शुरू करेगा।
- 3 जून 2026 को, एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली में अपने परिसर में हाइब्रिड मोड में 'हीट वेव और शहरी क्षेत्रों में इसका शमन' पर अपनी कोर ग्रुप मीटिंग आयोजित करेगा।
- 9 जून 2026 को, एनएचआरसी, भारत नई दिल्ली में अपने परिसर में हाइब्रिड मोड में 'डिजिटल अपरेस्ट घोटालों के खिलाफ मानव अधिकारों की सुरक्षा' पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित करेगा।

मई 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	3,680
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	3,958
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	41,088

खबरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी



सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रिता, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in

www.nhrc.nic.in

@India_NHRC

@NationalHumanRightsCommission